UPSC 2022 HUGGET UPSC 2022 UGGET U

(संक्षिप्त नोट्स)



शामिल प्रमुख विषय: संवैधानिक ढांचा:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
- 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट
- 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
- 1786 का अधिनियम
- 1793 का अधिनियम
- 1813 का चार्टर एक्ट
- 1833 का चार्टर अधिनियम
- 1853 का चार्टर अधिनियम

- भारत सरकार अधिनियम 1858
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892
- 1909 का भारत परिषद अधिनियम
- 1919 का भारत सरकार अधिनियम
- १९३५ का भारत सरकार अधिनियम
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

संविधान का निर्माण:

- कालक्रम के अनुसार घटनाएं
- महत्वपूर्ण समितियां
- प्रारूप समिति

संविधान की मुख्य विशेषताएं

- संविधान की विशेषताएं
- संविधान के स्रोत एक नजर में

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना में प्रमुख शब्द

- संप्रभुता
- समाजवादी
- धर्मिनरपेक्ष
- लोकतांत्रिक
- गणतंत्र
- न्याय
- स्वतंत्रता

- बंधुता
- समानता
- प्रस्तावना का महत्व
- प्रस्तावना में संशोधन
- क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

- संघ और उसका राज्य क्षेत्र
- राज्यों के पुनर्गठन के लिए संसद की शक्ति

- धर आयोग और जेवीपी समिति
- फजल अली आयोग
- 1956 के बाद बने नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशwriting can you see this

नागरिकता

- संवैधानिक प्रावधान
- नागरिकता अधिनियम, 1955
- भारत की विदेशी नागरिकता
- एनआरआई, और ओसीआई कार्डधारक की तुलना

मौलिक अधिकार

- मौलिक अधिकारों की विशेषताएं
- राज्य की परिभाषा
- मौलिक अधिकारों से असंगत कानून
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार
- सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार
- मौलिक अधिकारों के अपवाद

राज्य के नीति निदेशक तत्व

मौलिक कर्तव्य

संविधान का संशोधन

- संविधान का संशोधन
- संशोधन के प्रकार और प्रक्रिया
- संविधान की मूल संरचना

संसदीय प्रणाली भाग-11

- संघीय प्रणाली
- एकात्मक और संघीय व्यवस्था के बीच अंतर
- केंद्र राज्य संबंध
- विधायी संबंध।
- प्रशासनिक संबंध।
- वित्तीय संबंध
- विभिन्न आयोग और सिफारिशें

अंतर्राज्यीय संबंध

- अंतर्राज्यीय परिषद
- क्षेत्रीय परिषद

आपातकालीन प्रावधान

- राष्ट्रीय आपातकाल
- राष्ट्रपति शासन
- वित्तीय आपातकाल

भाग ३ और भाग ४ का तुलनात्मक अध्ययन

भाग-III केंद्र सरकार राष्ट्रपति	भाग-IV राज्य सरकार मुख्यमंत्री
उप राष्ट्रपति प्रधान मंत्री	राज्य मंत्रिपरिषद
केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट समितियां	उच्च न्यायालय
संसद संसदीय समितियां	अधीनस्थ न्यायालय
संसदीय मंच	पारिवारिक न्यायालय
संसदीय समूह सर्वोच्च न्यायालय	ग्राम न्यायालय
न्यायिक समीक्षा न्यायिक सक्रियतावाद	लोक अदालत
जनहित याचिका	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रबन्ध

भाग-ए स्थानीय सरकार

पंचायती राज

- विकास और विभिन्न समितियाँ
- 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम- विशेषताएं
- 1996 का पेसा अधिनियम (विस्तार अधिनियम)

नगर पालिकाएं

• 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम- विशेषताएं

भाग-VI केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र

- केंद्र शासित प्रदेश
- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय

भाग-VII संवैधानिक निकाय	भाग-VIII गैर-संवैधानिक निकाय
 चुनाव आयोग संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग वित्त आयोग माल और सेवा कर परिषद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के महान्यायवादी राज्य के महाधिवक्ता 	 नीति आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय जांच ब्यूरो लोकपाल और लोकायुक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकर

विविध

- राजनीतिक गतिशीलता
- चुनाव
- चुनाव कानून
- चुनावी सुधार
- संविधान के भाग और अनुसूचियां

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि(HISTORICAL BACKGROUND)

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

- 1) भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था।(भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी)।
 - 2) इसने बंगाल के राज्यपाल को 'बंगाल के गवर्नर-जनरल' (GGB) के रूप में नामित किया। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
 - 3) इसने कलकत्ता (1774) में एक सर्वोच्च न्यायालय (मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ) की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे। (upsc pre.)
- बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीनस्थ बना दिया गया।

संशोधन

अधिनियम, 1781

- 1) रेगुलेटिंग एक्ट की खािमयों को दूर करने के लिए1773 में ब्रिटिश संसद ने 1781 का संसोधन पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है।
- 2) इसने गवर्नर-जनरल और परिषद को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी और कंपनी के कर्मचारियों को भीब उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गईं।
- इसने राजस्व मामलों और राजस्व के संग्रह में उत्पन्न होने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा।
- 4) इस एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए अदालत को प्रतिवादियों के पर्सनल लॉ को प्रशासित करने की भी आवश्यकता थी, यानी हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था।

5) इसने निर्धारित किया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीलों को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के पास ले जाया जा सकता है न कि सर्वोच्च न्यायालय में।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

- भारतीय मामले ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गए। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया।
- 2) वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (C.O.D) को अनुमित दी और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल (B.O.C) (6 सदस्य) नामक एक नया निकाय बनाया गया। जो नागरिक

1786 का अधिनियम

- लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस पद को स्वीकार करने के लिए दो मांगें रखीं, अर्थात-
 - 1. उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए।
 - 2. वह गवर्नर जनरल के साथ कमांडर-इन-चीफ

और सैन्य सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करता था । भी होंगे। तदनुसार, दोनों प्रावधानों को बनाने के लिए 1786 का अधिनियम बनाया गया था।

 पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में दोहरी सरकार की स्थापना की ।

चार्टर

अधिनियम 1793

- 1) इसने लॉर्ड कार्नवालिस को उसकी परिषद पर, भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलों और प्रेसीडेंसियों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया। इसने गवर्नर-जनरल को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसीडेंसी पर और अधिक अधिकार और नियंत्रण प्रदान किए।
- 2) इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की एक और अवधि के लिए बढा दिया।
- 3) जब तक विशेष प्रकार से नियुक्त न किया जाए तब तक कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा।
- 4) यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब से भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा।

चार्टर अधिनियम, 1813

- इसने भारत में EIC के एकाधिकार को समाप्त कर दिया ("चीन के साथ व्यापार" और "भारत के साथ चाय में व्यापार" पर कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर।) इस प्रकार, चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुला था। यह 1833 तक चला जब तक अगले चार्टर ने
- 2) इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। (भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित) (UPSC PRE 2019)

कंपनी के व्यापार को समाप्त नहीं कर दिया।

- 3) इसने ईसाई मिशनिरयों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमित प्रदान की।
- 4) इसने भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। (1 लाख रुपये)(UPSC 2018)
- 5) इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे करों का भुगतान न करने पर दंडित भी कर सकते थे।

चार्टर अधिनियम,1833

- 1) केंद्रीकरण की ओर अंतिम कदम।
- 2) बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने (लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे)। गवर्नर जनरल के पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं।
- इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया।

चार्टर अधिनियम 1853

- 1) गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग किया गया।
- 2) भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद के रूप में जानी जाने वाली परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले छह नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया।

- 4) पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम के रूप में जाना जाता था, जबिक इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में EIC की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जिससे यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।
- 5) गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई।

- 3) इसने पहली बार भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की।
- 4) सिविल सेवा के लिए एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गयी। इस प्रकार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया।
- 5) गवर्नर जनरल किसी विधेयक पर वीटो भी कर सकते थे।

- 6) इस अधिनियम के द्वारा खुली प्रतियोगिता के प्रावधान को नकारा गया ।
- 7) **यूरोपीय लोगों के प्रवास पर प्रतिबंध** और संपत्ति के अधिग्रहण को समाप्त कर दिया गया।
- 8) भारतीय कानून को संहिताबद्ध और समेकित किया गया।
- किसी भी भारतीय को धर्म, रंग के
 आधार पर कंपनी के तहत रोजगार पाने
 से वंचित नहीं किया जाएगा।
- 10) दास प्रथा को समाप्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम,1858

- इसे भारत की सरकार के लिए अच्छे अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
- 2) कंपनी के शासन को ताज के शासन से बदल दिया गया था।
- अभारत के गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। जो कि ब्रिटिश ताज के एजेंट के रूप में था।
- 4) इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया।
- 5) इस अधिनियम ने डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया।
- 6) राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई।
- 7) भारत और इंग्लैंड में राज्य सचिव पर

मुकदमा भी चलाया जा सकता

भारतीय परिषद अधिनियम,1861

- बॉम्बे और मद्रास की विधायी शिक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। (इन शिक्तियों को चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से लागू किया गया था)।
- भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई।
- 3) वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। जिसमें तीन भारतीय शामिल थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव।

भारतीय परिषद

अधिनियम,1892

- 1) हालांकि अधिकांश सरकारी सदस्यों को बरकरार रखा गया था, भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अब बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा नामित किया जाना था, जबिक प्रांतीय परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों को कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नामांकित किया जाना था- जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिकाएँ। इस प्रकार भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत हुई। (अप्रत्यक्ष चुनाव)
- 2) परिषद को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- 4) इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया।
- 5) वायसराय को रूल ऑफ बिजनेस के नियम बनाने का अधिकार दिया गया (यही शक्ति भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान की गई है)।
- 6) बंगाल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया।
- 7) पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई ।(लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू) (UPSC.PRE.)

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

- 1) पहली बार विधान परिषदों के चुनाव की घोषणा की गई एवं प्रांतीय विधान परिषदों में, गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत को मान्यता प्रदान की गई।
- 2) मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई।
- 3) जनसंख्या के अनुरूप मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया ।
- 4) मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को कम रखा गया।
- 5) इसने पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भाग लेने का प्रावधान किया। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया)

मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम

(1919)

- 1) उत्तरदायीं सरकार की स्थापना
- भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया ।
- 3) पहली बार द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन, मुस्लिम तक विस्तार प्रदान किया गया।
- 5) भारत के राज्य सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व से भुगतान किया जाएगा।
- 6) प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया स्थानांतरित विषय-(मंत्रियों के साथ गवर्नर उत्तरदायीं) आरक्षित विषय-कार्यकारी अधिकारियों के साथ गवर्नर उत्तरदायीं

7)केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया।(UPSC.PRE.2012)

भारत सरकार अधिनियम,1935

- प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई (नोट: रियासतें शामिल नहीं हुईं इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया)
- 2) वायसराय (गवर्नर जनरल) को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई । (upsc 2018)
- 3) प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया (यूपीएससी प्री 2000)
- 4) प्रांतों में उत्तरदायीं सरकार की शुरुआत की गयी ।
- 5) ग्यारह में से छह प्रांतों में द्विसदनवाद की शुरुआत की गयी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,1947 20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की। 30 जून, 1948 तक; (3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकृत की गयी)

- 1) 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया।
- 2) ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न संविधान निर्माण के लिए अनुमित प्रदान की गई ।(प्रत्येक के गवर्नर जनरल को कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था)
- अहिटश अधिनियमो को निरस्त करने के लिए और डोमिनियन राष्ट्र के लिए स्वतंत्र रूप से फ्रेमवर्क अपनाने के लिए संविधान सभा ओं को अधिकार दिए गए
- 4) राज्य सचिव के पद को समाप्त कर उसकी शिक्तयों एवं कार्यों को सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया।

- 6) दिलत वर्गों (अनुसूचित जातियों,महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया । । (1909)-केवल मुसलमानों के लिए, 1919 -सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और के लिए विस्तारित
- 7) यूरोपीय परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित किया गया
- श) भारत के राज्य सिचव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी।
- 9) देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- 10) दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की।
- 11) संघीय न्यायालय, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था।

संविधान सभा ने दोहरे कार्यों का निर्वहन किया जैसे (संवैधानिक और विधायी कार्य)

इसने इस सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया। तथा भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

संविधान का निर्माण(MAKING OF CONSTITUTION)

- 1934- भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय द्वारा सामने रखा गया था। जो कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे।
- 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- 1938 नेहरू ने घोषित किया कि संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए।
- 1940- अगस्ट प्रस्ताव ;संविधान की मांग को स्वीकार किया गया।
- 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कैबिनेट के एक सदस्य, ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाने वाला एक स्वतंत्र संविधान का प्रारुप था, (यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा खारिज कर दिया गया था)
- 1946- नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था जिसे कैबिनेट मिशन द्वारा मंजूरी प्रदान की गईं।
- संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थीं।इसके अलावा,इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। (यूपीएससी प्री 2013)

- सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी, एसटी इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी।
- 9 दिसंबर, 1946, विधानसभा की पहली बैठक; मुस्लिम लीग ने बैठक का बिहष्कार किया;)
 सचिंद्र सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया।
- 11 दिसंबर, 1946- राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसी प्रकार एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- 13 दिसंबर, 1946 जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया (संविधान संरचना की अवधारणा)
- 22 जनवरी, 1947- संकल्प स्वीकृत
- 3 जून, 1947- माउंटबेटन योजना
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-विधानसभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया था;विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई जो कि स्वतंत्र भारत (डोमिनियन) विधानमंडल की पहली संसद बनी)
- जब भी विधानसभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो **डॉ राजेंद्र प्रसाद इसकी** अध्यक्षता करते और जब यह विधायी निकाय के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर द्वारा की जाती।। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे।
- संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए गये-
 - 1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
 - 2. इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
 - 3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
 - 4. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
 - 5. इसने 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
- 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू की गई थी।
- संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 में निहित संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित हैं। 391, 392 और 393, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए।
- प्रमुख समितियां

प्रारूप समिति- बी आर अंबेडकर संचालन समिति- राजेंद्र प्रसाद संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति- सरदार पटेल

प्रारूप समिति

- प्रारूप समिति का गठन २९ अगस्त १९४७ को हुआ था।
- इसमें सात सदस्य शामिल हुए। जिनके नाम इस प्रकार है-
 - 1. डॉ बीआर अंबेडकर (अध्यक्ष)
 - 2. एन गोपालस्वामी अयंगर
 - 3. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
 - 4. डॉ. के.एम. मुंशी
 - 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
 - 6. एन. माधव राव (उन्होंने बी एल मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था)

7. टीटी कृष्णमाचारी (उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी)

संविधान की प्रमुख विशेषताएं(FEATURES OF CONSTITUTION)

1. सबसे लंबा लिखित संविधान	मूल रूप से (1949) संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां शामिल थीं।
2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया	भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ-साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है।
3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	एक कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जैसे- अमेरिकी संविधान। दूसरी ओर, एक लचीला संविधान वह है जिसे उसी तरीके से संशोधित किया जा सकता है जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, उदाहरण के लिए- ब्रिटिश संविधान। भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है।
4. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था	(अनुच्छेद -1 राज्यों के संघ को परिभाषित करता है न कि राज्यों के समूह) - एक संघ की सामान्य विशेषताएं जैसे- दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएं जैसे- एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि।
5. सरकार का संसदीय स्वरूप (कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं) (UPSC PRE 2017)	संसदीय प्रणाली को सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल, उत्तरदायी सरकार और कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए- संसद, ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। इसके अलावा भारतीय राज्य में एक निर्वाचित प्रमुख (गणराज्य) होता है जबिक ब्रिटिश राज्य में वंशानुगत प्रमुख (राजशाही) होता है।
6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण	संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ जुड़ा हुआ है।
7. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका	संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत अदालतों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है, जहां संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य के कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं।

8. एकल नागरिकता	भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी शासन प्रणाली (केंद्र और राज्य) की परिकल्पना करता है। यह केवल एक नागरिकता
	यानी भारतीय नागरिकता को ही मान्यता प्रदान करता है।

संविधान के स्रोत एक नजर में

स्रोत	ली गई विशेषताएं
1. भारत शासन अधिनियम 1935	संघीय योजना , राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
	भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण
2. ब्रिटिश संविधान	संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता।
3. अमेरिकी संविधान	मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद।
4. आयरिश संविधान	राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
5. कनाडा का संविधान	एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार।
6. ऑस्ट्रेलियाई संविधान	समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
7. जर्मनी का संविधान	आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
8. सोवियत संविधान (यूएसएसआर, अब रूस)	मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श (प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
9. फ्रांसीसी संविधान	प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
10. दक्षिण अफ्रीका का संविधान	संविधान में संशोधन के लिए संविधान प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।
11. जापान का संविधान संविधान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

संविधान की प्रस्तावना(PREAMBLE OF CONSTITUTION)

- प्रस्तावना के साथ संविधान की शुरुआत करने वाला अमेरिका पहला देश था।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था जिसे बाद में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।
- प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज को दर्शाती है (UPSC PRE. 2017)
- इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता

प्रस्तावना में प्रमुख शब्द

1. संप्रभु	'संप्रभु' का तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी पर निर्भर है और न ही किसी अन्य राष्ट्र के अधीन, यह स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है(आंतरिक और बाहरी दोनों)
2. समाजवादी	 कांग्रेस पार्टी ने स्वयं अपने अधिवेशन में समाज के 'समाजवादी' प्रतिमान को स्थापित करने का संकल्प स्वीकार किया। भारतीय समाजवाद एक 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है न कि एक 'साम्यवादी'समाजवाद' (जिसे 'राज्याश्रित समाजवाद' भी कहा जाता है)
	 लोकतांत्रिक समाजवाद- 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' में विश्वास रखता है जहां सार्वजिनक और निजी दोनों क्षेत्र साथ-साथ मौजूद रहते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधी समाजवाद (राज्यविहीन समाज) की ओर है - UPSC PRE 2020
3. धर्मनिरपेक्ष	 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह शब्द जोड़ा गया।धर्मिनरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा यानी हमारे देश में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है।

4. लोकतांत्रिक	 लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत यानी लोगों द्वारा सर्वोच्च शक्ति का अधिकार हैं।यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है) (upsc 2017) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का सीधे प्रयोग करते हैं जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है - प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार उपकरण अर्थात् जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन और परिप्रछा। जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रस्तावित विधान को मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटान के लिए भेजा जाता है। पहल एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लोग विधायिका को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रत्यावर्तन यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकता है, जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है। परिप्रच्छा सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की एक विधि है। इसका उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग तथ्यों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह एक सामूहिक संघ का निर्माण करते हैं।
5. गणतंत्र	 राज्य का मुखिया हमेशा एक निश्चित अविध के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे (U.S.A.) भारत में निर्वाचित प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह परोक्ष रूप से पांच साल की निश्चित अविध के लिए चुने जाते हैं। गणतंत्र के अर्थ में दो और भी चीज़ें शामिल हैं: लोगों में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाए लोगों के हाथ में होती है। दूसरा, किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं।
6. न्याय	न्याय का आदर्श - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - रूसी क्रांति (1917) से लिया गया है।
7. स्वतंत्रता	'स्वतंत्रता' का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना (UPSC 2019) प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है।(UPS PRE 2017)

8. समानता	विशेष विशेषाधिकारों का अभाव समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध।
9. बंधुत्व	भाईचारे की भावना-दो बातों का आश्वासन देती हैं -1. व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। 42वें संविधान संसोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 'अखंडता' शब्द जोड़ा गया है।

संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना

बेरुबारी संघ मामला (1960)	सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
केशवानंद भारती मामला (1973)	इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।
एल आई सी ऑफ इंडिया केस (1995)	सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।
प्रस्तावना की स्थिति	 संविधान के किसी अन्य भाग की तरह प्रस्तावना को भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था; लेकिन संविधान के लागू होने के बाद इसे लागू किया प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर निषेध। यह न्यायोचित नहीं है,अर्थात् इसके प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। (UPSC PRE 2020)

प्रस्तावना में संशोधन

- प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते 'बुनियादी विशेषताओं' में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है - प्रस्तावना में निहित संविधान की मूलभूत विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।
- प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया हैं। जिसमें प्रस्तावना में तीन नए शब्द - समाजवादी, धर्मिनरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं।

संघ और उसके क्षेत्र।

राज्यों का संघ

- संविधान के अनुच्छेद 1के अनुसार इंडिया यानी भारत को 'राज्यों के समूह' के बजाय 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है।
- पहली अनुसूची संविधान के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामो को सूचीबद्ध करती है।

- वाक्यांश 'राज्यों का संघ' को महत्व देने की दो कारण है एक, भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है; और दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। (यूपीएससी प्री 2017)
- अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 1. राज्यों के क्षेत्र 2. केंद्र शासित प्रदेश 3. वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है।

अनुच्छेद 1	इंडिया अर्थात् भारत को 'राज्यों के समूह' के बजाय 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है। यह प्रावधान दो बातों से संबंधित है: एक, देश का नाम; और दूसरा, राजपद्धित का प्रकार।
अनुच्छेद 2	संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है: (ए) भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति; और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहला उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, जबिक दूसरा उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे।
अनुच्छेद 3	यह संसद को अधिकृत करता है कि (a) किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी भी राज्य के किसी भी भाग में किसी भी क्षेत्र को जोड़कर एक नया राज्य बनाना; (b) किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना; (c) किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना; (d) किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन; तथा (e) किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। • उपरोक्त परिवर्तन केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। • राष्ट्रपति को इसे राज्य विधायिका को संदर्भित करना होता है यह मत एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। • नए राज्यों की निर्माण की शक्ति संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति भी शामिल है। • राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधायिका के मत को मानने से बाध्य नहीं है। • संविधान संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को उनकी सहमित के बिना ही बदलने के लिए अधिकृत करता है। • भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में विर्णित किया गया है।

अनुच्छेद ४	 यह घोषणा करता है कि नए राज्यों के लिए बनाए गए कानून या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2 के तहत) और नए
	राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के तहत) को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
	 ऐसे कानूनों को साधारण बहुमत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है।

केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उदभव

धर आयोग	 भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जून 1948 में, भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने दिसम्बर, 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए।
जेवीपी समिति	 इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे, इसलिए इसे जेवीपी सिमिति के रूप में भी जाना जाता है। दिसंबर 1948 में गठित इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। हालाँकि, अक्टूबर 1953 में, भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके, आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
फ़ज़ल अली आयोग	 दिसंबर, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया इसके अन्य दो सदस्य के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू थे। इस आयोग ने सितम्बर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया। इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को खारिज कर दिया। आयोग ने राज्यों और क्षेत्रों के चार स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)- 1956 के बाद बने नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

	,
1956	केरल = त्रावणकोर, कोचीन, दक्षिण केनरा आंध्र प्रदेश = आंध्र + हैदराबाद मध्य क्षेत्र = मध्य भारत, विंध्य, भोपाल नए केंद्र शासित प्रदेश = लक्षद्वीप; मिनिकॉय; मद्रास राज्य क्षेत्र से अमीनदीवी द्वीप समूह को अलग किया गया।
1960	महाराष्ट्र और गुजरात विभाजित
1961	दादर और नागर हवेली (10 वां संविधान संशोधन)
1962	गोवा, दमन, दीव (12 वां संविधान संशोधन फ्रांस के द्वारा पुदुचेरी को हस्तांतरित किया गया (14 वां संविधान संशोधन)
1963	नागालैंड
1966	हरियाणा
1971	हिमाचल प्रदेश
1974	सिक्किम (36 वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा)
1987	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा
2000	छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड
2014	तेलंगाना
2019	2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और

नागरिकता(CITIZENSHIP)

नागरिकों के लिए अधिकार

विदेशियों के अधिकार

- उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
- 1. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)।
 2. सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
 - 3. वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
 - 4. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30).
 - 5. लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में मतदान का अधिकार। 6. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
 - अधिकार।
 7. कुछ सार्वजनिक कार्यालयों, यानी
 भारत के राष्ट्रपति, भारत के
 उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और
 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के
 पद को धारण करने की पात्रता,
 राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल भारत
 के और राज्यों के महाधिवक्ता की
 पात्रता।

- विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं इसलिए सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार इन पर लागू नहीं होते हैं।
- अनुच्छेद- 15,16,19,29,30 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार विदेशियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।
- हालाँकि शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। (अनुच्छेद 22)।

*ध्यान दें,

भारत में नागरिक जन्म से और साथ ही प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता रखते हैं, जबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में, केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है।

उदाहरण: भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं (यूपीएससी प्री 1999)

संवैधानिक प्रावधानः संविधान के भाग ॥ के तहत अनुच्छेद ५ से ११ तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है।)

- यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बन गए। (अर्थात, 26 जनवरी, 1950 को)
- यह उपबंध न तो स्थायी और न ही कोई विस्तृत हैं।
- इसमें न तो नागरिकता के अधिग्रहण या नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है।
- यह नागरिकता से संबंधित मामले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

निम्नलिखित चार श्रेणियों के व्यक्ति इसके प्रारंभ में अर्थात 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बन गए।

अनुच्छेद 5	वह व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास था और जिसने तीन शर्तों में से किसी एक को भी पूरा किया हो, अर्थात, 1)अगर वह भारत में पैदा हुआ था; 2)या उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था; 3)या वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले पांच साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा था, तो वह भारत का नागरिक बन गया।
अनुच्छेद 6	एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो; यदि वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और दो में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो। 1) वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो,एवं वह अपने प्रवास की तारीख से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। 2) वह 19 जुलाई 19481 से बाद मे भारत आया हो, एवं वह अपने प्रवास की तारीख से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो लेकिन ऐसा व्यक्ति पंजीकरण से पहले 6 महीने के लिए भारत में निवास कर रहा हो।
अनुच्छेद ७	एक व्यक्ति जो 1 मार्च के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो तथा बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौटा हो-उसे अपने आवेदन की तारीख से छह महीने पहले भारत में रहना होगा।
अनुच्छेद 8	इस प्रावधान में उन प्रवासी भारतीयों को शामिल किया गया है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं (भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति)

नागरिकता अधिनियम, 1955

नागरिकता का अधिग्रहण	नागरिकता की समाप्ति
 1. जन्म से भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म से भारत का नागरिक है। 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे नागरिक केवल तभी जब उनके जन्म के समय उनके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाते हैं। 	 1. स्वैच्छिक त्याग पूर्ण आयु और क्षमता का भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करने घोषणा कर सकता है। यदि ऐसी घोषणा किसी युद्ध के दौरान की जाती है जिसमें भारत शामिल है, तो उसका पंजीकरण केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालाँकि इस तरह के बच्चे 18 वर्ष की आयु के पश्चात पुनः भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता-पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो।

*नोट-भारत में पदस्थ विदेशी राजनियकों एवं शत्रु देश के बच्चे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

2. वंश के आधार पर

- 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे।
- 3 दिसंबर 2004 के बाद , भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि उसके जन्म का पंजीकृत न हो।

3. पंजीकरण द्वारा

केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को(अवैध प्रवासी नहीं है)भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हो-

- आम तौर पर सात साल के लिए भारत में निवास कर रहा हो।
- वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और सामान्य रूप से सात वर्षों से भारत में निवास कर रहा है।
- पांच साल के लिए भारत के कार्डधारक के रूप में एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले बारह महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है।

4. प्राकृतिक रूप से

केंद्र सरकार एक आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को (अवैध प्रवासी नहीं होने पर)

2. बर्खास्तगी के द्वारा

- जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से (जानबूझकर, बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या बाध्यता के) दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- हालांकि यह व्यवस्था कब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो

3. **वंचित करने द्वारा**

यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है, यदि: (a) नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो।

- (b) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया हो।
- (c) नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। (d) नागरिक को पंजीकरण या देशीयकरण के पांच साल के भीतर, किसी भी देश में दो साल के लिए कैद हुई हो।
- (e) नागरिक सामान्यतया सात वर्षी से लगातार भारत से बाहर का निवासी रहा हो।

भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति

- सितंबर 2000 में, भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) ने एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीयों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
- इसने कुछ निर्दिष्ट देशों से संबंधित भारतीय मूल के व्यक्तियों (P.I.O) को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम (1955) में संशोधन की सिफारिश की।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 ने सभी देशों के पी.आई.ओ के लिए एवं ओ.सी.आई. के लिए नागरिकता के दायरे का विस्तार किया।

देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह-

- ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते।
- भारतीय नागरिकता के लिए उसके आवेदन को स्वीकार किए जाने की स्थिति में वह मूल देश की नागरिकता को त्यागने का वचन देता है।
- यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो उसे 12 माह पूर्व से भारत में रहा होना चाहिए।

(पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ कर)

- उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।
- आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का अच्छा ज्ञाता हो
- 5. क्षेत्र समाविष्ट द्वारा

किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया तो भारत सरकार ने पांडिचेरी नागरिकता आदेश 1962 जारी किया।

6. असम समझौते में शामिल व्यक्तियों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान क्योंकि उनके स्थानीय कानूनों के तहत सभी दोहरी नागरिकताको मान्यता प्रदान करते हैं (ओसीआई वास्तव में दोहरी नागरिकता नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता को शिकार नहीं करती है। (अनुच्छेद 9)

- OCI कार्ड योजना 2 दिसंबर 2005 को शुरू की गई थी।
- नागरिकता (संशोधन)अधिनियम, 2015 ने "भारत के विदेशी नागरिक" के नामकरण को "भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक" (ओ.सी.आई.सी) के साथ बदल दिया।

(जो विदेशियों के मुद्दे से संबंधित है):

- भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए थे - जो असम में उनके प्रवेश की तारीख से सामान्य रूप से निवासी हैं, उन्हें नागरिक माना जाएगा।
- जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया हो और जो असम में प्रवेश करने की तारीख से सामान्य रूप से निवास कर रहा हो और जिसे विदेशी पाया गया हो, वह अपना पंजीकरण कराएगा।

एन.आर.आई, पी.आई.ओ और ओ.सी.आई कार्डधारक की तुलना करना

अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)	भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक
एक भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत से बाहर रहता है और एक भारतीय पासपोर्ट रखता है।	एक व्यक्ति स्वयं या जिसके पूर्वजों में से कोई एक भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में दूसरे देश की नागरिकता/राष्ट्रीयता धारण कर रहा है अर्थात उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।	एक व्यक्ति पंजीकृत नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक (ओ.सी.आई) कार्डधारक के रूप में
उपलब्ध सभी लाभ सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं	कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त वीज़ा के प्रकार के अनुसार गतिविधि	1) किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक आजीवन वीजा (भारत में शोध कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है)

सभी गतिविधियां कर सकते हैं। वह एक भारतीय नागरिक है। नागरिकता अधिनियम 1955,के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले उसे 7 साल की अवधि के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। 2)विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर.आर.ओ) के साथ पंजीकरण से छट 3) कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोडकर आर्थिक. वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध सभी सविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई) के साथ समानता 4) भारतीय बच्चों को अंतर्देशीय गोद लेने के मामले में अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार किया जाता है। 5) भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में टैरिफ के मामले में निवासी भारतीय नागरिकों के समान ही व्यवहार किया जाता है।

मौलिक अधिकार (भाग III; अनुच्छेद 12-35)

- मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित) में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं।उदाहरण के तौर पे बिल ऑफ राइट्स।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढावा देते हैं।
- यह राज्य के विरूद्ध लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता हैं।(कार्यपालिका के कठोर क़ानूनों और विधायिका के मनमाने कानून पर सीमाओं के रूप में कार्य करता हैं। (UPSC) 2017

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं -

- उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जबिक अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं चाहे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे निगम या कंपनियां।
- वे असीमित नहीं बल्कि वाद योग्य हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
- ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के कार्यों के खिलाफ भी हैं।
- इनमें से कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात् राज्य के प्राधिकार पर सीमाएं लगाते हैं।
- यह न्यायोचित हैं। यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमित प्रदान करते हैं।
- यह स्थायी नहीं हैं। संसद इन्हें कम या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा न कि सामान्य अधिनियम द्वारा।
- यह अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।। इसके अलावा, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत छह अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है।
- किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर उनके क्रियान्वयन को को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

• राज्य की परिभाषा

- अनुच्छेद 12 में भाग 3 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है।इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है-
- कार्यकारी एवं विधाई अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद
- राज्य सरकार के विधाई अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल

अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं)

सरकार; सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिकाएं,पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास अन्य सभी प्राधिकरण जो हैं। वैधानिक या गैर-सांविधिक प्राधिकरण जैसे एल.आई.सी, ओ.एन.जी.सी, सेल, आदि

मूल अधिकारों से असंगत विधियां

- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो असंगत हैं या किसी भी मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करते हैं। शून्य मानें जाएंगे। (अतः यह न्यायिक समीक्षा के योग्य है।)
- अनुच्छेद 13 में 'कानून' शब्द: केंद्र द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून और राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यादेश; प्रत्यायोजित विधान (कार्यकारी विधान) के वैधानिक साधन जैसे आदेश, नियम विनियम आदि शामिल है।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

1. समानता का अधिकार (ART.14-18)

अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण

- राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- 'कानून के समक्ष समानतां की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है। (नकारात्मक संकल्पना)
- यह 'कानून के शासन' की अवधारणा का एक तत्व है जिसे ब्रिटिश
 न्यायविद ए.वी.डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
 - सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'कानून के शासन' के रूप में में सित्रहित

अनुच्छेद 14 संविधान की एक 'बुनियादी विशेषता' है।

• व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान व्यक्तिगत

अधिकारों का परिणाम है ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है।

 किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति,

(यूपीएससी 2017)

- साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार
- कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है।
- 'कानूनों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई हैं।

(सकारात्मक अवधारणा)

- विधियों द्वारा पदस्थ विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार
- समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है।
- बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
- समानता के अपवाद कानून के समक्ष समानता का नियम निरपेक्ष नहीं है यह

राष्ट्रपति, संसद सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य,

विदेशी राजनियक जो उन्मुक्ति, सुरक्षा और विशेषाधिकार के हकदार है उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है ।

राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 :कुछ आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। विभेद का प्रतिषेध यहां 'केवल' शब्द का अर्थ है कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता हैं। किसी भी नागरिक को आंशिक रूप से राज्य निधि द्वारा बनाए गए सामान्य सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा-यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अपवाद स्वरुप राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदि के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। यह राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन में नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की अवसर की समानता समानता प्रदान करता है। केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के तहत रोजगार के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता हैं। अपवाद: 1) संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण में रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। 2) किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण किया जा सकता हैं जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं 103वां संशोधन अधिनियम 2019 - इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला एक आदेश जारी किया। अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और इसके आचरण अनुच्छेद 17: को किसी भी रूप में मना करता है।

'अस्पश्यता' शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया

व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी

अस्पृश्यता का

(यू.पी.एस.सी. 2020)

उन्मूलन

अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

- यह राज्य को किसी भी निकाय, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, पर कोई उपाधि (सैन्य या शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर) प्रदान करने से रोकता है।
- यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है।
- राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला विदेशी, राष्ट्रपति की सहमित के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमित के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
 - सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कारों-भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस तरह यह समानता के सिद्धांत के विपरीत नहींं है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (ART. 19-22)

अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी

- (i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- (ii) शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार।
- (iii) संघ या या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।
- (iv) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार I
- (v) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार
- (vi) कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

*नोट- संपत्ति के अधिग्रहण,खरीदने और निपटान के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था।

 राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उच्च प्रतिबंध लगा सकता है यह आधार इस प्रकार है - यदि भारत की एकता एवं संप्रभुता विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध ,सार्वजनिक आदेश, न्यायालय की अवमानना आदि।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति, को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसमें तीन प्रावधान हैं,
 - (30) कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं: किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उसने ऐसा कार्य किया हो जो उस समय अपराध के रूप में आरोपित है।

- उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है।
- यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर लगाई जाती है, न कि नागरिक कानूनों या कर कानूनों की सीमा पर लगाई जाती है
 - कोई दोहरा क्षिति नहीं: किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा।

दोहरी क्षति के खिलाफ सुरक्षा केवल कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष जांच में उपलब्ध है, प्रशासनिक अदालतों के लिए नहीं हैं।

स्व अभिशंस नहीं : किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आत्म-दोष के खिलाफ सुरक्षा, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक विस्तारित है- हालांकि, यह (i) भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन, (ii) अंगूठे का निशान, नमूना हस्ताक्षर, रक्त के नमूने देने की बाध्यता, और (iii) किसी इकाई की प्रदर्शनी तक विस्तारित नहीं है।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

- कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अन्यथा नहीं
- गोपालन केस (1950), सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है इसमें माना कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्यवाही के ।
- मेनका केस (1978),में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक व्यापक व्याख्या लेते हुए अनुच्छेद 21 के तहत फैसला सुनाया कि सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडल की प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है
- जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है न कि इसे केवल शारीरिक बंधनों में बांधा गया है ।
- यूपीएससी 2019:(Art. 21शादी का अधिकार)
- UPSC 2018: निजता का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें निहित है।

अनुच्छेद 21 ए : शिक्षा का अधिकार (2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह अधिनियम जोड़ा गया)	 राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व (ART.45) और मौलिक कर्तव्य में भी इसे शामिल किया गया है। (51ए)
अनुच्छेद 22 निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण (संसद और राज्य एक साथ निवारक निरोध पर कानून बनाते हैं।)	 अनुच्छेद 22 दंडात्मक और निवारक दोनों प्रकार के निरोध के तहत व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। दंडात्मक निरोध किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में दोषी ठहराए जाने से है। दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के तहत हिरासत में लेना। अनुच्छेद 22 के दो भाग है पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है जबिक दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है । जिसे साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसे यह निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है एक वकील द्वारा परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार (यात्रा के समय को छोड़कर)। मजिस्ट्रेट के तोहरा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखने का अधिकार ये सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है निवारक निरोध के खिलाफ सुरक्षा उपायः
	 व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक के लिए है तो मामले को एक सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। हिरासत तभी ही जारी रखी जा सकती है जब सलाहकार बोर्ड को लगता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त आधार हैं। नजरबंदी के आधारों को संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाना चाहिए संबंधित व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, (ART. 23, 24) (यूपीएससी प्री 2017)

यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध अनुच्छेद २३: मानव दुर्व्यापार औरबलात् श्रम का प्रतिषेध यह न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी व्यक्ति की रक्षा करता है। इस प्रावधान के तहत अपवाद यह है कि यह राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमित देता है, उदाहरण के लिए, सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अनुच्छेद २४, कारखानों में बच्चों के नियोजन अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजित करने पर यह रोक का प्रतिषेध लगाता है। यह किसी भी हानिरहित या परिवारिक काम में उनके रोजगार को प्रतिबंधित नहीं करता है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (ART 25-28)

अनुच्छेद 25, अंतःकरण	इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र
की स्वतंत्रता और धर्म	रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
के अवैध रूप से मानने	इनके निहितार्थ हैं: अंतःकरण की स्वतंत्रता; मानने का अधिकार; आचरण का
आचरण करने और	अधिकार; प्रचार का अधिकार
प्रचार करने की	इसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार
स्वतंत्रता	शामिल नहीं है।
अनुच्छेद 26: धार्मिक	(a) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव
मामलों के प्रबंधन की	का अधिकार; (b) धर्म के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार; (c) चल
स्वतंत्रता	और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार; और (d)
(समूह का अधिकार)	कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार
अनुच्छेद 27: धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति	किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य को किसी धर्म विशेष के प्रचार या रखरखाव के लिए कर के रूप में एकत्रित धन को खर्च नहीं करना चाहिए। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है ना कि शुल्क पर
अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता	पूर्ण रूप से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, यह प्रावधान राज्य द्वारा प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (ART 29-30)

अनुच्छेद 29 :अल्पसंख्यकों		के	हितों
का संरक्ष	ाण		,

यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे यह संरक्षित करने का अधिकार होगा (प्रत्येक नागरिक का अधिकार-अल्पसंख्यक के साथ-साथ बहुसंख्यक भी)

किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा (केवल अल्पसंख्यक का अधिकार)

एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा प्रदान किया जाएगा (44 वां संविधान संशोधन।)

अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।

6. संपत्ति का अधिकार: अनुच्छेद 31

अनुच्छेद 31: संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत अनुच्छेद 19(1) (संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार) को हटा दिया और स्थानांतरित कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में प्रावधान (किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा) अनुच्छेद 300- 🗚। इस परिवर्तन का प्रभाव यह है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार, हालांकि अभी भी एक संवैधानिक अधिकार (कानूनी) अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकता है।

मौलिक अधिकारों के अपवाद

ART 31ए: कृषि सुधार,उद्योग, वाणिज्य के लिए राज्य व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ART 31वी: 9वीं अनुसूची में संरक्षित अधिनियमों को चुनौती दी जा सकती हैं।(IR Coelho केस 2007)

ART.31सी: 1)डी.पी.एस.पी 39(B) और (C) प्रतिरक्षा को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन शुन्य होगा।

2) कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। (केसवानंद भारती केस में SC ने दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है)

7. संवैधानिक उपचारो का अधिकार (ART.32)

- ART.32 संविधान की मूल विशेषता है।
- यह संसद को किसी अन्य न्यायालय को निर्देश, आदेश ओर रिट जारी करने का अधिकार देती हैं।
- राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। (अनुच्छेद 359)
- ART 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है।

 संवैधानिक उपचारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका इस प्रकार है:

उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)	
 उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को लेकर ही रिट जारी कर सकता संकीर्ण रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में मूल अधिकारों को लेकर रिट जारी कर सकता है। (क्षेत्रीय रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है) ART 32 स्वयं मूल अधिकार है इसलिए उच्चतम न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। 	 उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। व्यापक रिट क्षेत्राधिकार केवल उस राज्य क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकते हैं।(रिट क्षेत्राधिकार संकीर्ण है) ART.226के अनुसार उच्च न्यायालय के लिए यह उपबंध विवेकाधीन है; इसलिए वे इसके क्रियान्वयन से मना कर सकते हैं। 	

रिट के प्रकार और क्षेत्र

	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	परमादेश	निषेध	उत्प्रेषण	अधिकार पृच्छा
અર્થ	का शाब्दिक अर्थ है 'को प्रस्तुत किया जाए यह अदालत द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र	शाब्दिक अर्थ है ' हम आदेश देते हैं' एक सार्वजनिक अधिकारी को अदालत द्वारा जारी आदेश जारी आदेश जार्में अपने आधिकारिक कार्यों और उन्हें नकारने के संबंध में पूछा जा सके।	इसका अर्थ है 'निषिद्ध करना' उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अधिकरण को जारी किया गया ताकि उन्हें उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोका जा सके। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है प्रतिशत सीधे	इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना' किसी लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है। यह निवारक और उपचारात्मक दोनों है।	इसका अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट द्वारा' सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है।

	किया जा सकता है ।		सक्रिय नहीं रहता।		
किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है	सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है।	कोई भी सार्वजनिक संस्था, सहकारी समिति, अधिकरण और निचली अदालतों के खिलाफ	न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ	न्यायिक अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक निकायों के खिलाफ	अन्य चार रिटो से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा
के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता	न्यायालय की अवमानना के विरूद्ध	निजी निकाय; अध्यक्ष; मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध	प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति के विरुद्ध	विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध।	यह मंत्रिस्तरीय कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है।

सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार

अनुच्छेद ३३	संसद को यह अधिकार देता है कि वे सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके।
	 अनुच्छेद 33 के तहत अधिनियमित एक संसदीय कानून, जहां तक मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का संबंध है, कोर्ट मार्शल (सैन्य कानून के तहत स्थापित न्यायाधिकरण) को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है।
अनुच्छेद ३४	जब किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, तो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मार्शल लॉ की घोषणा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित नहीं कर सकती है ।
अनुच्छेद ३५	अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, न कि राज्य विधानसभाओं में।

कानूनी अधिकार (भाग III के बाहर अधिकार)

ART.265, भाग XII	कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।
ART.300ए , भागXII	कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा
ART.301भाग XIII	भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम मुक्त होगा
ART . 326 भाग XV	लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (भाग IV ART 36-51)

- यह संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। यह विचार 1937 के आयिरश संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था।
- 'राज्य के नीति निदेशक तत्व'राज्य के आदर्शों को दर्शाता है इन्हें नीतियां बनाते और विधायी और प्रशासनिक कार्य के समय ध्यान में रखना चाहिए। (यूपीएससी प्री 2013)
- निर्देशक सिद्धांत 'इंस्ट्रमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन' से मिलते जुलते हैं जिसकी गणना भारत सरकार अधिनियम 1935.में की गई है।
- वे एक 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि 'पुलिस राज्य' की। (यूपीएससी 2020)
- निदेशक तत्व प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं। यद्यपि कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में यह अदालतों की सहायता करते हैं।
- डी.पी.एस.पी. विधायी या कार्यकारी कार्यों पर सीमाओं का गठन नहीं करता है, हालांकि यह राज्य के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। (यूपीएससी 2017)
- ART.36, यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है।
- ART.37 इसके अनुसार नीतियों के निर्माण में DPSP के निर्देशों को शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा।

समाजवादी निर्देशक तत्व	गांधीवादी निर्देशक तत्त्व	उदारवादी निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 38 i) लोगों के कल्याण मैं वृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना ii) आय में असमानता तथा सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना(44 वाँ संविधान संशोधन)	अनुच्छेद ४० ग्राम पंचायतो का गठन अनुच्छेद ४३: कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन ART.43 बी: सहकारी समितियां (९७ वें संविधान	अनुच्छेद ४४: समान नागरिक संहिता अनुच्छेद ४5: 1४ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान (86 वां सविधान संशोधन 2002) अनुच्छेद ४८: कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना

अनुच्छेद 39 :(a)सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार

- (b) धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण रोकना
- (c) सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण (d) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन (यूपीएससी 2006)
- (e) श्रमिकों और बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण
- (f)बच्चों का स्वास्थ्य विकास के अवसर (42 वें सविंधान संशोधन)

अनुच्छेद 39 ए: समान न्याय,एवं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता (42 वें सर्विधान संशोधन)

अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता को पाने का अधिकार प्रदान करना

अनुच्छेद 42: काम की मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान करना संशोधन 2011)

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन

अनुच्छेद ४7: शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध (यूपीएससी) 2007)

अनुच्छेद 48, गायों और दुधारू मवेशियों के वध को प्रतिबंधित एवं उनकी नस्लो में सुधार को प्रोत्साहन।

(यूपीएससी प्री 2012-गांधीयन निर्देशक तत्व)

(यूपीएससी प्री 2020-गांधीवाद और मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है। अनुच्छेद ४८ ए: पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा (42 वां संसोधन)

अनुच्छेद ४१: संरक्षित स्मारक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले सस्मारक या वस्तु का संरक्षण करना

अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना (UPSC PRE 2020)

अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना (UPSC PRE) 2014)

यूपीएससी प्री 2013- आर्थिक न्याय (अनुच्छेद 39 (B)) भी नीति निर्देशक तत्वों में निहित है।

अनुच्छेद 43: सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, स्वस्थ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर

अनुच्छेद 43 ए: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना(42 वां संविधान संशोधन) (UPSC 2017)

अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। (यूपीएससी 2015- नीति निदेशक तत्व राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से अलगः

एस.सी. एस. टी. सेवाएं (ART. 335; भाग XVI)

मातृभाषा में निर्देश (ART.350A, भाग XVII)

हिंदी भाषा का विकास, ART..351, भाग XVII)

मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव

- चंपाकम केस 1951: (मूल अधिकार >> नीति निदेशक तत्व)(मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है)
- गोलकनाथ केस 1967 : DPSP के लिए FR में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- 25 वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31C-1)डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए 39(बी)&(सी) को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 2) इस प्रकार के संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- केशवानंद भारती मामले में दूसरे प्रावधान को रद्द किया गया ।
- ४२ वा संविधान संशोधन (नीति निदेशक तत्व >> मूल अधिकार)
- मिनर्वा मिल्स केस 1980: नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अधीनस्थ है लेकिन(डीपीएसपी) (39बी& 9सी)>> मूल अधिकार(14,19)
- DPSP पर FR सर्वोच्च हैं, संसद DPSP को लागू करने के लिए FR में संशोधन कर सकती है।

मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, ART.51A,42 वाँ संविधान संशोधन 1976)

- भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है 1976 में स्वर्ण सिंह सिमिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थीं।
- 1999, वर्मा सिमिति ने मूल कर्तव्यों की पहचान वह उनके कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की हेलों
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) में दस मौलिक कर्तव्य शामिल थे; 2002 में11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
 - मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं; वे कानूनी मान्यता के बिना गैर-न्यायिक हैं- (UPSC 2017) मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया प्रदान नहीं दी गई है।
 - 1) संविधान का पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
 - 2) राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें।
 - 3) भारत की संप्रभुता,एकता और अखंडता की रक्षा करें।
 - 4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
 - 5) भाईचारे को बढ़ावा दें और ऐसी प्रथाओं का त्यांग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध है।
 - 6) समृद्ध विरासत का संरक्षण करें।
 - 7) पर्योवरण में सुधार / रक्षा करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें।
 - 8) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद का विकास करें।
 - 9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
 - 10) सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें।
 - 11) बाल शिक्षा(86 वा संविधान संशोधन 2002)

संविधान का संशोधन

- संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है।
- भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर बल्कि दोनों का सिम्मिश्रण है।

- संसद उन उपबंधों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के 'बुनियादी ढांचा' से संबंधित हैं। केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था।
- संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के रूप में अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया गया है:
 - विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है (यूपीएससी 2013)
 - विधेयक या तो मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा शुरू किया जा सकता है।
 - राष्ट्रपति की पूर्व अनुमित की आवश्यकता नहीं है।
 - विशेष बहुमत से पारित (कुल सदस्यता के 50% से अधिक और 2/3 वर्तमान और किये जाने वाले मतदान)
 - यदि विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित हो तो आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित (यूपीएससी 2013)
 - 24 वां संविधान संशोधन द्वारा. राष्ट्रपति के लिए सहमति प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया।

संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है:

संसद का साधारण बहुमत	संसद का विशेष बहुमत	संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन
अनुच्छेद 368. की सीमा से बाहर 1. नए राज्यों का प्रवेश या गठन 2. विधान परिषदों का गठन 3. दूसरी अनुसूची 4. नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति 5. 5वीं 6वीं अनुसूची 6. आधिकारिक भाषायें	इस तरह से जिन प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है उनमें शामिल हैं: (i) मौलिक अधिकार; (ii) राज्य नीति के निदेशक तत्व; और (iii) अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।	राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन 2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार 3. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 4. सातवीं अनुसूची से संबंधित विषय
7. संसद और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव		संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ। 5. माल और सेवा कर परिषद 6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 7.संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 368)।

संविधान की मूल संरचना (BASIC STRUCTURE OF CONSTITUTION)

- शंकरी प्रसाद केस 1951: प्रथम संशोधन 1951 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा की संविधान में संशोधन करने की शक्ति का अर्थ मूल अधिकार में संशोधन भी है; अनुच्छेद 13 में 'कानून' शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं ना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम अतः संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को भी वापस ले सकती है।
- गोलक नाथ केस 1967: उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले की स्थिति को बदल दिया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकारों को एक 'पारलौकिक और अपरिवर्तनीय' स्थिति दी गई है और इसलिए, संसद इनमें से किसी भी अधिकार को कमी या छीन नहीं सकती है।
- 24 वां अधिनियम 1971, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कमी करने या छीनने की शक्ति दी गई।
- केशवानंद भारती केस 1971: गोलकनाथ फैसले को प्रत्यादिष्ट किया; 24 वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। मूल संरचना का सिद्धांत भी निर्धारित किया गया जिसके अनुसार संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते है।
- 42 वाँ संविधान संशोधन 1976: अनुच्छेद 368 के संशोधन में संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जाएगी।
- **मिनर्वा मिल केस 1980:** 'न्यायिक समीक्षा को बुनियादी ढांचे का भाग मानकर मूल सरचना के सिद्धांत को लागू रखा ।
- मुल संरचना के तत्व
 - 1) संविधान की सर्वोच्चता
 - 2) भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप
 - 3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
 - 4) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
 - 5) संविधान का संघीय चरित्र
 - 6) देश की एकता और अखंडता

- 7) न्यायिक समीक्षा
- 8) व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- 9) संसदीय प्रणाली
- 10) कानून का शासन
- 11)मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन
- 12)समता का सिद्धांत
- 13)स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
- 14)न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- 15)अनुच्छेद 32 ,136 ,141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां
- 16)अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां

निष्कर्ष रूप में संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग जिसमें की मौलिक अधिकार भी शामिल है में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होती हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के घटकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किंतु विभिन्न फैसलों के आधार पर मूल संरचना में उपरोक्त तत्वों को जोड़ा गया है।

भाग 11, सरकार की प्रणाली

संसदीय प्रणाली-विशेषताएं

- भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और राज्यों में अनुच्छेद 163 और 164 से संबंधित हैं
- सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- सरकार के कैबिनेट रूप में अंतर्निहित सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र का वह स्वरूप है जो लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। (यूपीएससी 2017)
- संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उतरदायी सरकार या सरकार के वेस्टिमंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में प्रचितत है।
- राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है जबिक प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है।
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है
- मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।(अनुच्छेद 75)
- राजनीतिक एकरूपता- मंत्रिपरिषद एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, और इसलिए वे एक ही राजनीतिक विचारधारा साझा करते हैं।
- मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं।
 (शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का आधार है।जिसमें सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां सरकार के तीन स्वतंत्र अंगों में अलग अलग निहित हैं।)
- सरकार की इस प्रणाली में प्रधान मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- संसदीय मंत्री प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं।
- संसद के निचले सदन (लोकसभा) को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है।
- {'शैडो कैबिनेट' ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था की अनूठी संस्था है।इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रिस्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। ,

संघीय व्यवस्था(FEDARAL SYSTEM)

संघीय सरकार	एकात्मक सरकार
1. दोहरी सरकार (अर्थात, राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार) 2. लिखित संविधान 3. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन 4. संविधान की सर्वोच्चता 5. कठोर संविधान 6. स्वतंत्र न्यायपालिका 7. द्विसदनीय विधानमंडल भारत का संविधान देश में सरकार की एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय संघवाद अमेरिका के विपरीत राज्यों के बीच समझौतों का परिणाम नहीं है- यूपीएससी 2017 'फेडरेशन' शब्द का संविधान में कहीं नहीं इस्तेमाल किया गया हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था 'कनाडाई मॉडल' पर आधारित है।	 एकल सरकार, यानी राष्ट्रीय सरकार जो क्षेत्रीय सरकारें बना सकती है। संविधान लिखित (फ्रांस) या अलिखित भी (ब्रिटेन) हो सकता है। शक्तियों का विभाजन नहीं। सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं। 4. संविधान सर्वोच्च (जापान) हो भी सकता है या सर्वोच्च (ब्रिटेन) नहीं भी हो सकता है। संविधान कठोर (फ्रांस) या लचीला (ब्रिटेन) हो सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है या स्वतंत्र नहीं हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय (ब्रिटेन) या एक सदनीय भी (चीन) हो सकती है।

केंद्र राज्य संबंध(CENTER- STATE RELATIONSHIP)

केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन तीन प्रमुख स्वरूपों के तहत किया जा सकता है

• विधायी संबंध।• प्रशासनिक संबंध। और वित्तीय संबंध

विधायी संबंध	प्रशासनिक संबंध	वित्तीय संबंध
 भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए 	 भाग X में अनुच्छेद 256 से 263 तक विधायी शक्तियों के वितरण की तर्ज पर केंद्र 	 भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक संसद को संघ सूची में शामिल विषयों पर और

- कानून बना सकती है।(राज्य के कानून केवल राज्य तक सीमित हैं)
- संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों को तीन प्रावधानों में बांटता हैं जैसे सूची- I (संघ सूची), सूची- II (राज्य सूची) और सूची- III (समवर्ती सूची)
- और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति का विभाजन किया गया है।
- प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना है (ए) संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- राज्य सूची में राज्यों की विधायिका पर कर लगाने का विशेष अधिकार है
- कराधान की अविशष्ट शक्ति संसद में रहती है
- केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति है निम्नलिखित नुसारः

- 42वां संशोधन
 अधिनियम 1976 के
 तहत पांच विषयों को
 राज्य सूची से समवर्ती
 सूची में स्थानांतरित
 कर दिया यानी (ए)शिक्षा
 (बी) वन (सी) वजन और
 नाप तौल (डी) वन्य जीव एवं
 पक्षियों का सरंक्षण (ई)
 न्याय का प्रशासन
- अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है।
- संविधान संसद को निम्नलिखित पांच असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है::
- जब राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित करती है-उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है।
- 3. आपातकाल के समाप्त

- राज्य में केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या इसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना
- अनुच्छेद 365 के अनुसार जहां कोई भी राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने (या प्रभावी करने) में विफल रहा है, उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- ART 356के तहत-उस राज्य की विधायिका की शक्ति संसद के अधिकार के तहत या उसके अधीन है। (UPSC2018)
- राज्यों को केंद्र के निर्देश-
- संचार के साधनों का रखरखाव
- 2. रेलवे की सुरक्षा
- शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निष्पादन
- राष्ट्रपति, राज्य की

- A. केंद्र द्वारा लगाए गए कर लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित (अनुच्छेद 268): विनिमय, चेक, वचन पत्र के बिलों पर स्टाम्प शुल्क आदि शामिल हैं।
- B. केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए (269): अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में माल एवंसेवाओं की बिक्री
- C. अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण (अनुच्छेद 269-ए)
- D. केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित (अनुच्छेद 270)
- E. केंद्र के प्रयोजनों के लिए कुछ करों और कर्तव्यों पर अधिभार (अनुच्छेद 271)
- राज्यों को सहायता अनुदान

- होने के छह महीने बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
- 4. जब दो या दो से
 अधिक राज्यों की
 विधायिकाएं राज्य सूची
 के किसी मामले पर
 कानून बनाने के लिए
 संसद से अनुरोध करते
 हुए प्रस्ताव पारित करती
 हैं, तो संसद कानून बना
 सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है।
- जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो संसद बन जाती है

उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। संसद द्वारा ऐसा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है सहमित से राज्य सरकार पर केंद्र के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकती हैं।

- अखिल भारतीय सेवाएं-अनुच्छेद 312 के अनुसार संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत करता है।
- एकीकृत न्यायिक प्रणाली - अदालतों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानून को भी लागू करती है।

वैधानिक अनुदान
ART.275 संसद को उन
राज्यों को अनुदान देने का
अधिकार देता है जिन्हें
वित्तीय सहायता की
आवश्यकता है न कि
प्रत्येक राज्य को।

विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को इन अनुदानों को देने के लिए किसी भी दायित्व के बिना किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है और यह मामला उसके विवेक पर निर्भर करता है)

उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च
न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश एवं संबंधित
राज्य के राज्यपाल के
परामर्श से की जाती है इन्हें
राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित
किया जा सकता है।

- 101वां संशोधन
 अधिनियम 2016 माल
 और सेवा कर परिषद
 (जीएसटी परिषद) की
 स्थापना के लिए
 प्रावधान करता हैं।
- अनुच्छेद २७७-ए ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया।

केंद्र राज्य संबंधों पर विभिन्न आयोग एवं रिपोर्ट:

प्रशासनिक सुधार आयोग 1966

- मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में (जिसका अनुसरण बाद में के. हन्मंतय्या ने किया)
- अनुशंसा-1) अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना
 2) राज्यपालों की नियुक्ति (गैरदलीय व्यक्ति की नियुक्ति)
 - 3) राज्य को अधिकतम शक्तियाँ;
 - 4) राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन

राजमन्नार समिति 1969	 1969 में तिमलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त सिमित ने केंद्र-राज्य संबंध में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की पहचान की। जिसकी सिफारिशें निम्न है: 1)वित्त आयोग की स्थायी आयोग के रूप में स्थापना 2) राष्ट्रपित शासन के प्रावधान को समाप्त किया जाए। 3) अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए 4) राज्य को अविशष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए।
सरकारिया आयोग 1983	 स्थायी अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति शासन का दुर्लभतम प्रयोग अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाए। राज्यों की सहमित के बिना सशस्त्र बलों की तैनाती। त्रिभाषी फॉर्मूला समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले केंद्र राज्य से परामर्श करेगा। समवर्ती सूची में निहित अन्य अविशृष्ट शक्तियाँ राज्यपालों की नियुक्ति: वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए; किसी लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होंगे; दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता हैं। (UPSC PRE 2018)
पुंछी आयोग 2007	सरकारिया आयोग व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की मदद ।इसके अनुसार सहकारी संघवाद एकता की प्रमुख कुंजी है। • सरकारिया आयोग के आधार पर राज्यपालों का चयन। • राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान • विश्वविद्यालयों के कुलपत्ति राज्यपाल नहीं होंगे। • नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। • अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना की जाए।

अंतर्राज्यीय संबंध(INTERSTATE RELATIONSHIP)

संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। यह दो प्रावधान करता है: i) संसद कानून द्वारा किसी भी विवाद के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है; ii) संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

• अभी तक निम्नलिखित अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई हैं-

नाम	में स्थापित	शामिल राज्य
कृष्णा जल विवाद अधिकरण-	1969	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र क्षेत्र

गोदावरी जल विवाद अधिकरण	1969	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
नर्मदा जल विवाद अधिकरण	1969	राजस्थान, गुजरात, मध्य क्षेत्र और महाराष्ट्र
रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण	1986	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
कावेरी जल विवाद अधिकरण	1990	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी
कृष्णा जल विवाद अधिकरण-11	2004	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र क्षेत्र
वंसधारा जल विवाद अधिकरण	2010	उड़ीसा और आंध्र क्षेत्र
महादयी जल विवाद अधिकरण	2010	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
महानदी जल विवाद अधिकरण	2018	उड़ीसा और छत्तीसगढ़

अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।

- राष्ट्रपति (ISC)की स्थापना कर सकते हैं और इसकी प्रकृति और कर्तव्यों को परिभाषित कर सकते हैं।
- राज्यों के बीच कानूनी विवादों पर परिषद सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दे सकती है। ART131 के द्वारा अनुसूचित जाति के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया है।
- राष्ट्रपति ने निम्नलिखित परिषदों की स्थापना की है:
 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद। ,स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए बिक्री कर के लिए चार क्षेत्रीय परिषद इत्यादि।
- सरकारिया आयोग की सिफारिशों से, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की।
- इसमें निम्निलिखित सदस्य होते हैं (i) अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री (ii) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (iii) विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (iv) विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक (v) राष्ट्रपित शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल (vi) प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले गृह मंत्री सिहत छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- अंतर राज्य परिषद की स्थायी सिमिति: गृह मंत्री+5 कैबिनेट मंत्री+9 राज्यों के मुख्यमंत्री
- अंतर राज्य परिषद सचिवालय : सरकार के सचिव की अध्यक्षता में; क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में भी काम करता है।

अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य: (ART.301-307) भाग XII

क्षेत्रीय परिषदें: (सांविधिक निकाय)

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं।
- वे एक संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
- पांच जोन (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी)
- सदस्यः (a) केंद्र सरकार के गृह मंत्री *- अध्यक्ष (b) क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। (c) क्षेत्र में प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री। (d) क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक।
- प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एवं एक समय में एक वर्ष की अविध के लिए पद धारण करता है।
- उत्तर-पूर्वी परिषद उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, संसद के एक अलग अधिनियम-1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर-पूर्वी परिषद बनाई गई थी। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।

आपातकालीन प्रावधान (EMERGENCY PROVISIONS)

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुछेद.352)

राष्ट्रपति शासन (अनुछेद.356)

वित्तीय आपात स्थिति (अनुछेद.360)

घोषणा के आधार:

- अनुच्छेद .352: बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (44 वां संवैधानिक संशोधन 1978)
- 42 वां संवैधानिक संशोधन 1976- राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष क्षेत्र तक सीमित कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय आपातकाल 1975-आंतरिक अशांति के कारण
- राष्ट्रपति कैबिनेट से
 लिखित सिफारिश प्राप्त
 करने के बाद ही
 घोषणा कर सकते हैं
 (44 वां संवैधानिक
 संशोधन 1978)
- राष्ट्रपति की यह घोषणा न्यायिक समीक्षा के तहत लाई गई (44 वां संवैधानिक संशोधन1978)

घोषणा के आधार:

- इसे राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।
- अनुच्छेद 355- राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी अनुच्छेद.356- राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है।
- राष्ट्रपति शासन घोषित करने के 2 आधार:

1) अनुच्छेद 356- राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ/बिना संतुष्ट होने पर राष्ट्रपति की घोषणा।

घोषणा के आधार:

 राष्ट्रपति वित्तीय
 आपातकाल की घोषणा करते हैं, यदि वह 'संतुष्ट' होते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अनुमोदन:

 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

- अनुमोदन का संकल्प साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- अनिश्चित काल के लिए लागू रहता हैं जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है।
- कोई अधिकतम
 अवधि निर्दिष्ट नहीं
 है।

(मिनर्वा मिल्स मामला)

अनुमोदन:

- जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।(44 वां संवैधानिक संशोधन 1978)
- यदि दोनो सदनों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो यह 6 महीने तक जारी रहता है।इसे हर 6 महीने (आवधिक) रूप से संसदीय अनुमोदन के साथ अनंत तक बढाया जा सकता है।(44 वां संवैधानिक संशोधन1978)
- अनुमोदन को निरंतर रखने के लिए किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।(44वां संवैधानिक संशोधन 1978)

निरसन:

- यदि लोकसभा (लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य अध्यक्ष को लिखित नोटिस देते हैं) तो राष्ट्रपति को आपातकाल रद्द कर देना चाहिए। 44 वां संवैधानिक संशोधन 1978
- साधारण बहुमत से निरसन

केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव:

A) कार्यकारी-केंद्र ने राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी मामले पर राज्यों को निर्देश देना तक है।; (हालांकि इसमे राज्य सरकार निलंबित नहीं

2) अनुच्छेद.३६५-राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

अनुमोदन:

- जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- अगर मंजुरी मिलती है, तो यह 6 महीने तक जारी रहेगा: अधिकतम यह 3 वर्षों के लिए बढाया जा सकता है। संसद के अनुमोदन से 3 वर्ष
- निरंतरताः प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पास किया गया हो।
- निरंतरता के लिए शर्तः
- 1) परे देश अथवा परे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल
- 2) चुनाव आयोग यह प्रमाणित करें कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित है।

निरसन:

किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त (संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं)

राज्य विधानसभा पर प्रभाव-

- राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है।
- केंद्र की ओर से राज्यपाल मुख्य सचिव

जारी रखने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं

निरसन:

वित्तीय आपात स्थितियों को राष्ट्रपति संसदीय द्वारा अनुमोदन के बिना किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

प्रभाव:

केंद्र कार्यकारी शक्ति किस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह :

- वित्तीय औचित्य का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश देना
- राष्ट्रपति को निर्देश:

a) वेतन, भत्तों में कमी b) सभी धन/अन्य वित्तीय विधेयकों का राष्ट्रपति के विचारार्थ रखें जाएंगे। c) संघ, राज्य और अनुसूचित जाति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी।

होती है बल्कि केंद्र द्वारा पूर्ण नियंत्रण के अधीन है) विधायी-संसद राज्य सूची में कानून बनाती है हालांकि राज्य की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है; आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद के द्वारा बनाये गए कानून निष्क्रिय; राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

(संसद प्राधिकरण) और अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सलाहकार (यूपीएससी 2018) की मदद से प्रशासन चलाते हैं।

- राष्ट्रपति या तो राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है।
- संसद राज्य के विधायक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है।

(यूपीएससी) 2007 वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा -अनुछेद.360

सी) वित्तीय-राष्ट्रपति राज्यों के राजस्व के वितरण को संशोधित (कम/रद्द) कर सकते हैं-ऐसा आदेश, राष्ट्रपति को संसद के समक्ष रखना होगा।

लोकसभा और राज्य विधानसभा पर प्रभाव: लोकसभा एक बार में 1 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है; आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक विस्तार जारी नहीं रखा जा सकता है। संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है।

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: अनुछेद.358 और अनुछेद.359-राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभाव

- अनुछेद.358- यह अनुछेद 19 के 6 मूल अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित करता है। केवल जब बाहरी आक्रमण पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई हो। मौलिक अधिकार 19 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए निलंबित और पूरे देश में विस्तारित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 359-मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारो का निलंबन;दोनों मामलों में (सशस्त्र विद्रोह) या बाहरी आक्रमण में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। राष्ट्रपति इस अवधि को

(राज्य विधानमंडल स्वचालित रूप से भंग नहीं होता) -यूपीएससी 2017

• 44 वां
संवैधानिक
संशोधन1978
: 'राष्ट्रपति
की संतुष्टि'के
प्रावधान को
न्यायिक
समीक्षा के
तहत लाया
गया।

निर्दिष्ट कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों का निलंबन पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से पर लागू हो सकता है।

 44 वाँ संवैधानिक संशोधनः केवल बाहरी आक्रमण पर मौलिक अधिकारों 19 का स्वतः निलंबन और अनुच्छेद 359- मौलिक अधिकारों 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति को अन्य अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार दिया।

भाग-3 केंद्र सरकार और भाग 4 राज्य सरकार का तुलनात्मक अध्ययन

राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52 से 78) (भाग V)

चुनाव:

निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा: 1) लोकसभा + राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य 2) राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य 3) UT (दिल्ली + पुडुचेरी) के निर्वाचित सदस्य

विधायक का वोट=(राज्य की कुल जनसंख्या)/(निर्वाचित सदस्यों की संख्या x 1000)

सांसद का वोट = विधायक के वोटों का कुल मूल्य / कुल संख्या। (एल.एस+आर.एस) के निर्वाचित सदस्यों की संख्या (प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है) -(युपीएससी 2018)

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत और मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव।
- राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवाद एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं।

योग्यताः

- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष से अधिक आयु;
- लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य हो।

राज्यपाल (ART.153-167) (भाग VI)

- अनुच्छेद 153 से 167 :राज्य की कार्यपालिका
- राज्यपाल: मुख्य कार्यकारी प्रमुख; राज्य का नाममात्र प्रमुख
- 7 वां संविधान संशोधन 1956: राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।(यूपीएससी 2013)
- नियुक्तिः राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनकी मुहर के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वह केंद्रीय नामित लेकिन स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के तहत कार्य करता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति का मॉडल कनाडाई संविधान से लिया गया है।

योग्यताः

- भारत का नागरिक हो।
- 35वर्ष से अधिक आयु का हो।
- सरकारिया आयोग की सिफारिश अनूसार राज्यपाल दूसरे राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। यह प्रावधान संवैधानिक नहीं है।
- शपथ -उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

पद के लिए शर्ते :

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें:

- i) किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा।
- ii) लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।
- iii) आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा (यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्य भी शामिल)
- iv) हालांकि दो महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यालय में उस पर उसके निजी कृतियों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है।

अवधि:5 वर्षः; उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा दें सकतें हैं। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र कोई नहीं।

अभियोग:

- संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग
- किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।
- 1/4वें सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस
- दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव
- निर्वाचित(लोकसभा+राज्यसभा) के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं)
- राज्य विधानमंडल कोई सदस्य भाग नहीं लेता।

- i) किसी भी सदन का सदस्य नहीं
- ii) लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।

iii) आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा (भले ही व्यक्तिगत हो) - (यूपीएससी 2018)

iv) कार्यकाल के दौरान अगर दीवानी जांच होनी हो तो उसे 2 माह का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 158-राज्य के राज्यपाल के परिलब्धियों और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा (यूपीएससी 2018)

अवधि, 5 वर्षः; राष्ट्रपति की संतुष्टि के अधीन (संतुष्टि'-न्यायिक समीक्षा के तहत नहीं)

- राज्यपाल के पास कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है।
- राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार निर्दिष्ट नहीं हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों का स्थानांतरण (यूपीएससी) 2013)
- उसी राज्य में पुनर्नियुक्ति संभव है।
- पद रिक्त होने पर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियां:

1)**कार्यपालक**: भारत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। (यूपीएससी 2015)

संघ सरकार के शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं।

नियुक्तियां- पीएम, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, गवर्नर, आदि:

किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।

2)विधायी: समन / सत्रावसान / लोकसभा को भंग करना; लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्ष्ता सौंप सकता है।;राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों। को नामांकित करता है; चुनाव आयोग के सदस्यों की अयोग्यता

राज्यपाल की शक्तियां

- 1) **कार्यपालक:** आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करता है; नियुक्तियाँ- मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त; राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करता है।
- 2) विधायी: राज्य विधान सभा को बुलाना / सत्रावसान / भंग करना; परिषद में मनोनीत-1/6 सदस्य; सहमति देना या सहमति को रोकना ; बिल को पुनः लौटाना और राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को भी आरक्षित कर सकते हैं।; अध्यादेश जारी कर सकता हैं।
- 3) वित्तीय: धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिशों के साथ; प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
- 4) न्यायिक: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के

का निर्णय करता है; अध्यादेश जारी करने का अधिकार।

3) वित्तीय: धन विधेयक के लिए पूर्व सिफारिश; राष्ट्रपति के सम्मन के बाद केंद्रीय बजट; वित्त आयोग का गठन

4) न्यायिक: वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से वह किसी तथ्य पर सलाह ले सकता है परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

5) **वीटो शक्ति**: राष्ट्रपति के पास विधेयकों के लिए 3 विकल्प मौजूद हैं-अंत्यातिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो।

भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति है (विशेषित वीटो नहीं है यानी उच्च बहुमत वाले विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सके।)

- अंत्यातिक वीटो:इसका संबंध राष्ट्रपित की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है।
- निलंबनकारी वीटो: जब वह पुनर्विचार के लिए बिल लौटाता है; धन विधेयक के लिए कोई निलंबनकारी वीटो उपलब्ध नहीं है।
- पॉकेट वीटो: अनिश्चित काल के लिए बिल को लंबित रखना (कोई कार्रवाई नहीं); संवैधानिक संशोधन के लिए कोई पॉकेट वीटो उपलब्ध नहीं है। {भारतीय पॉकेट वीटो>>>अमेरिकी से अधिक व्यापक}
- राष्ट्रपति का राज्य के विधेयकों पर वीटो शक्तिः

ART 200: राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं-मान्यता प्रदान करना, उसपर रोक लगाना, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस करता ना। ART201: यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो उसके पास 3 विकल्प हैं-सहमति देना, सहमति पर रोक, राज्यपाल को बिल पुनः लौटाना। दौरान राष्ट्रपति से परामर्श; मृत्युदंड को छोड़कर क्षमादान की शक्ति

5) वीटो शक्ति:सामान्य कानूनों के लिए गवर्नर के पास 4 विकल्प होते हैं-सहमित, रोक, वापसी और बिल को आरक्षित करना।

धन विधेयकों के संबंध में: राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं-वह विधेयक को पारित कर सकता है, उस पर सहमति देने से मना कर सकता हैं लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।

यदि धन विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प हैं-विधेयक को स्वीकार करें या सहमति रोकें; राष्ट्रपति धन विधेयक को लौटा नहीं सकते है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति: (ART.213)

अध्यादेश बनाने की शक्ति: (ART123)

राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है।

- 1) केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकेगा जब दोनों (लोकसभा+राज्यसभा) सत्र में न हों या कोई एक सदन भी सत्र में न हो।
- 2) केवल तभी जारी कर सकता है जब वह कार्रवाई करने के लिए * संतुष्ट * हो (44 वां संविधान संसोधन: संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।)
- 3) संसद की बैठक शुरुहोने के पश्चात दोनों सदनों को अधिनियम बनने के लिए मंजूरी देनी होगी। (समाप्ति -6 सप्ताह; अधिकतम अविध- 6 महीने)
- 4) मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- 5) संविधान में संशोधन के लिएअध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- 6) राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद के साथ व्यापक है लेकिन समानांतर नहीं है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति: (ART.72)

- यह एक न्यायपालिका से स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति है:
- क्षमा:इसमें दंड और बंदी करण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दण्ड और निरहर्ताओं से पूर्णता मुक्त कर दिया जाता है।
- परिहार: संजा का स्वरूप बदले बिना अवधि कम करना
- लघुकरण:दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना।
- विराम: दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना।
- प्रविलंबन;िकसी दंड अस्थायी रोक लगाना।

विवेकाधीन शक्ति (पस्थितिजन्य),

- 1) किसी भी दल के पास स्पष्ठ बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो वह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है।
- 2) वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर सके।

द्विसदनीय के मामले में जब दोनों या सदन में से कोई एक सत्र में न हो तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।

- 1) यह संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है(44वाँ संविधान संसोधन)
- 2) मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- 3) राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद के साथ व्यापक है लेकिन समानांतर नहीं है।
- 4)राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

राज्यपाल की छमादान शक्ति

- राज्य के कानूनों के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी को क्षमा करना, अवधि को कम करना, राहत देना, निलंबित करना इत्यादि।
- मृत्यु दंड के लिए कोई क्षमा नहीं; लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं।

संविधान में राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्ति (यूपीएससी 2014)

- 1) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना
 - 2) राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना
- 3) केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना

4) मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी नीतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

अतिरिक्त विवेकाधिन-अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना जैसे- असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल कर्नाटक इत्यादि।

उपराष्ट्रपति(VICE PRESIDENT)

उपराष्ट्रपति पद अमेरिकी मॉडल से लिया गया है।

भारत में उपराष्ट्रपति लोगो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होकर दोनो सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

निर्वाचित और नामंकित दोनों सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं।

- राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव की तरह इसमें भाग नहीं लेते हैं। योग्यता-35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,राज्यसभा की सदस्या के योग्य हो,किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो।
- कार्यकाल-५वर्ष,राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मेंउपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्व एवं कर्तव्यों को निर्वहन करता है।

प्रधानमंत्री और मख्यमंत्री

प्रधानमंत्री के चयन के लिए संविधान में कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। • ART.75- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी; राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करनी होती है। • जब कोई दल स्पष्ट बहुमत मे नहीं हो, राष्ट्रपति अपने विवेक को लागू कर सकते हैं (राष्ट्रपति नीलम रेड्डी ने चरण सिंह को नियुक्त किया) • राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते	,	30
कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। • ART.75- प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी; राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करनी होती है। • जब कोई दल स्पष्ट बहुमत मे नहीं हो, राष्ट्रपति अपने विवेक को लागू कर सकते हैं (राष्ट्रपति नीलम रेड्डी ने चरण सिंह को नियुक्त किया) • राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते	प्रधानमंत्री	मुख्यमंत्री
हैं फिर उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता हैं	कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। ART.75- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी; राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करनी होती है। जब कोई दल स्पष्ट बहुमत मे नहीं हो, राष्ट्रपति अपने विवेक को लागू कर सकते हैं (राष्ट्रपति नीलम रेड्डी ने चरण सिंह को नियुक्त किया) राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं फिर उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत	निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं हैं। ART- 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी; राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करनी होती है। जब बहुमत न हो तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

- 1997: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, इस समयाविध में उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए।
- अवधि: कार्यकाल निश्चित नहीं; और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
- ART.78: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है

- राज्यपाल पहले सीएम नियुक्त कर सकते हैं,
 फिर विधानसभा में उसे बहुमत साबित करने के
 लिए कह सकते हैं
- जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए।
- अवधि: निश्चित नहीं; और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते है।

मंत्रिमंडल

- ART.74- राष्ट्रपित को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी ; राष्ट्रपित, मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा; मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपित को दी गई सलाह की जाँच अदालत में नहीं की जाएगी।
- ART.163- राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होंगी सिवाए राज्यपाल के विवेकाधिकार को छोड़कर।
- ART.75- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिष्द का गठन;
 प्रधानमंत्री सिहत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए (91वें संविधान संशोधन2003); मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। (यूपीएससी 2013; 2007)
- ART.75- जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो उन मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है जो लोकसभा के सदस्य हैं (सामूहिक उत्तरदायित्व)
- ART.164- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।
- यदि किसी भी सदन के सदस्य दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं,
 तो ऐसा सदस्य मंत्री होने के लिए भी अयोग्य होंगे।
- अध्यक्ष की संतुष्टि = मंत्रिपरिषद की संतुष्टि
- मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है जबिक कैबिनेट मंत्रियों का उल्लेख केवल ART.352. में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल-मूल रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया था
- कैबिनेट मंत्री सत्ता के वास्तविक केंद्र होते हैं, वे मंत्रिमंडल समूह की निगरानी करते हैं।

कैबिनेट समितियां - अतिरिक्त संवैधानिक निकाय(रूल ऑफ बिज़नेस)

- आवश्यकता के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं।
- पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी- नियुक्ति समिति;आर्थिक मामलो कि समिति।;राजनीतिक मामलों की समिति।; सुरक्षा समिति।; निवेश और विकास समिति।; कौशल विकास समिति।
- संसदीय कार्य सिमिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते है।
- कैबिनेट सिचवालय : कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तैयार करना, कैबिनेट सिमितियों को सिचवालिय सहायता प्रदान करना। (यूपीएससी 2014)

संसद भाग 5(ART.79 TO 122)

- संसद में शामिल हैं: राष्ट्रपित+लोकसभा+राज्यसभा (यूपीएससी 2012) भारतीय संसदीय मॉडल ब्रिटिश वेस्टिमंस्टर मॉडल पर आधारित है।

राज्य सभा की संरचना	लोकसभा की सरंचना
 अधिकतम संख्या = 250, 238 (निर्वाचित परोक्ष रूप से) और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 	 अधिकतम संख्या = 552; 530 (राज्य), 20 (केद्रशासित प्रदेश)
(चौथी अनुसूची-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन) आरएस सदस्य-राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा आरएस में प्रतिनिधित्व किया जाता है (जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें) राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं (केवल 2UT की दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हैं) - UPSC 2012 राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया	अविधः राज्यसभा एक स्थायी निकाय है इसे विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान में राज्यसभा के लिए निश्चित अविधका उल्लेख नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अिधनियम 1951 में राज्यसभा के लिए 6 वर्ष की अविध का उल्लेख किया गया है। • लोकसभा- सामान्य अविध 5 वर्ष है; राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

सदस्यों की योग्यता सदस्यों की अयोग्यता संविधान में उल्लेख है-संविधान का उल्लेख है-भारत का नागरिक होना चाहिए। • यदि वह लाभ का पद धारण करता है। चुनाव आयोग द्वारा शपथ। भारत के नागरिक नहीं है। यदि उसे संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा राज्यसभा के लिए- 30 साल से कम नहीं और लोकसभा के लिए- 25 साल से अयोग्य घोषित किया जाता है। कम आयु नहीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में उल्लिखित-चुनाव अपराध/भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेख है-व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत 2 या अधिक वर्षों के लिए कोई सज़ा या कैद नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी सेवाओं से बर्खास्त नहीं किया गया हो। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम नहीं है कि व्यक्ति किसी विशेष होता है और इस संबंध में राष्ट्रपति चुनाव राज्य का निर्वाचक हो I(UPSC आयोग से परामर्श कर सकते हैं। 2017) (लोकसभा के चुनाव के लिए एक नामांकन पत्र दलबदल के आधार पर अयोग्यताः भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भरा जा 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल सकता है जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न उस सूची में आता है।) सदन के अध्यक्ष अर्थात राज्यसभा में अध्यक्ष और लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है: हालांकि उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के

लोकसभा में अध्यक्ष	लोकसभा में उप सभापति
 अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। 	 उपसभापित का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है।

अधीन है।

- वह सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकारों का संरक्षक है।
- सभी संसदीय मामलों में उनका निर्णय अंतिम होता है।
- गणपूर्ति नहीं होने पर सदन स्थिगत या निलंबित के सकते हैं।
- बराबर मतों की स्थिति के मामले में वोट कर सकते हैं लेकिन पहली बार में मतदान नहीं कर सकते।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
- अध्यक्ष तय करता है कि कौनसा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक।
- 10वीं अनुसूची के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय करता है।
- वह व्यापार सलाहकार सिमिति के अध्यक्ष के साथ साथ नियम सिमिति; सामान्य प्रयोजन सिमिति आदि का अध्यक्ष भी होते हैं।
- पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है -जिससे लिए अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाना चाहिए।
- अध्यक्ष सभी कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में उच्च पद पर होता हैं।
- भारत में अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा
 नहीं देते हैं जबिक ब्रिटेन में अध्यक्ष
 गैर पार्टी व्यक्ति होता है।

- जब भी वह सदन की बैठक में भाग लेता है तो- पहली बार में मतदान नहीं कर सकता।
- संसदीय सम्मेलनो में आम तौर पर अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है और विभाग अध्यक्ष विपक्षी दल (यूपीएससी 2017) से होता है।
- भारत सरकार 1919- अध्यक्ष और उपसभापति के लिए प्रावधान।

लोकसभा में अध्यक्ष का पैनल

 लोकसभा का नियम-स्पीकर द्वारा नामित 10 सदस्यों का पैनल; उनमें से कोई भीअध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और डिप्टी के कार्यालय की अध्यक्षता कर सकता है।

प्रोटेम स्पीकर

 राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी) नियुक्त करता है।

राज्य सभा का सभापति

- भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा . के पदेन अध्यक्ष हैं।
- अध्यक्ष को पद से तभी हटाया जा सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।
- अध्यक्ष लोकसभा की तरह सदन का सदस्य नहीं होता है। (यूपीएससी 2013)

राज्य सभा के उप सभापति

- राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच निर्वाचित
- बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है।
- उपसभापित, सभापित के अधीनस्थ नहीं होते हैं।

सदन के नेता

विपक्ष के नेता

- लोकसभा के नियमों के तहत 'प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है।' या 'प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई मंत्री सदन का नेता हो सकता है।
- राज्यसभा में, 'प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सदन के नेता के रूप में नामित किया।
- 1969 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली (यूपीएससी 2018)
- 1977 में वैधानिक मान्यता क्योंकि वेतन अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है।
- विपक्ष के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक कुल सीटों में से कम से कम 1/10 सीटें होना आवश्यक है।
- विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है।

संसदीय परंपरा के आधार पर हर राजनीतिक दल का अपना व्हिप होता है।

संसद के सत्र

आहूत करना	राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय-समय पर बुलाते हैं। सत्र की पहली बैठक और सत्रावसान के बीच की अविध के बीच अधिकतम अन्तराल 6 महीनों का हो सकता है।
स्थगन	प्रत्येक बैठक में 2 बैठकें होती हैं;जिसे स्थगन द्वारा समाप्त,सत्रावसान या विघटित (विशिष्ट समय के लिए)द्वारा समाप्त या निलंबित किया जा सकता है।
अनिश्चित काल के लिए स्थगन	पुन: बैठक का नाम लिए बिना अनिश्चित काल के लिए बैठक को समाप्त करना पीठासीन अधिकारी की स्थगन की शक्ति को व्यक्त करता है।
सत्रावसान	पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित किया जा सकता है। जब सत्र का कार्य पूरा हो गया तो राष्ट्रपति सत्रावसान जारी करता है।
विघटन	केवल लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में स्थिति, (यूपीएससी 2016) • विधेयक दोनों सदनों से पारित लेकिन राष्ट्रपित द्वारा लौटाया गया- व्यपगत नहीं होता है। • विधेयक दोनों सदनों से पारित लेकिन लंबित सहमित- व्यपगत नहीं • राज्यसभा में लंबित विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित नहीं- व्यपगत नहीं • लोकसभा में लंबित बिल - व्यपगत (जहाँ भी उत्पन्न हुआ हो) • राज्यसभा में लंबित विधेयक लेकिन लोकसभा द्वारा पारित- व्यपगत

संसदीय कामकाज से संबंधित अन्य शर्तें

- कोरम यह उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति सदन के कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है।
- प्रश्नकालः दिन का कामकाज आम तौर पर प्रश्नकाल से शुरू होता है, जिसके दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं:

तारांकित प्रश्न, यह वह है जिसके लिए मंत्री द्वारा सदन के ऊर पर मौखिक उत्तर देना आवश्यक है। मंत्री के उत्तर के आधार पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अतारांकित प्रश्नः यह वह है जिसके लिए मंत्री एक लिखित उत्तर देते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए 15 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है और ऐसे प्रश्नों के संबंध में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

अल्प सूचना प्रश्न : इस प्रकार का प्रश्न जो सदस्यों द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के सार्वजनिक महत्व के मामलों पर पूछा जा सकता है। यह स्पीकर को तय करना है कि मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है या नहीं। सदस्य को नोटिस देते समय प्रश्न पूछने का कारण भी बताना होता है।

- शून्यकाल: यह अवधि 'प्रश्नकाल' के बाद आती है और यह आम तौर पर दोपहर में शुरू होती है। आमतौर पर, सदस्य इस अवधि का उपयोग चर्चा के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं। (शून्य घंटे का उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में नहीं किया गया है, यह संसदीय प्रक्रिया का भारतीय नवाचार है)
 - मंत्रियों/निजी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर राय व्यक्त करने के लिए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां-
 - 2. मूल प्रस्ताव-राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा मामला; जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना
 - 3. स्थानापन्न गति-मूल प्रस्ताव के स्थान पर उसके स्थान पर पास किया गया प्रस्ताव
 - 4. सहायक प्रस्ताव-मूल प्रस्ताव का संदर्भ
- कटौती प्रस्ताव विधेयकों के प्रावधानों पर छोटी बहस को कम करने के लिए कंगारू कटौती-बहस और मतदान के लिए लिया गया केवल महत्वपूर्ण खंड; अन्य खंड छोड़े गए

गिलोटिन कटौती-समय की कमी के कारण बिना चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखे गए विधेयक के अविवादित खंड।

- विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित- गलत तथ्य देकर सदन के ध्यान को आकर्षित करना।;
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अत्यावश्यक मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक महत्व; यह संसदीय प्रक्रिया के लिए भारतीय नवाचार है; यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित है
- स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना; यह एक असाधारण उपकरण है जो सदन के सामान्य दिनचर्या को बाधित करता है।; इसका उपयोग केवल लोकसभा में किया जाता है- राज्यसभा को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमित नहीं है। (UPSC 2012)
- अविश्वास प्रस्ताव-इस प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित कर मंत्री को हटाया जाना; प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है; इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारणों

को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है; यह प्रस्ताव समस्त मन्त्री परिषद् के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है; यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।। (यूपीएससी 2014)

- निंदा प्रस्ताव इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताने की जरूरत है; मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ इसे लाया जा सकता है; इसका अर्थ है विशिष्ट नीतियों के लिए मंत्रीपरिषद को उतरदायी ठहराना ; यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को संसद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपित प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव को संबोधित करते हैं; दोनों सदनों में इसकी चर्चा होती है।यह प्रस्ताव सरकार की रूपरेखा नीतियां;आदि को व्यक्त करता है।यह प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है अन्यथा यह सरकार की हार(less mejority) मानी जाती है।
- आदेश का बिंदु जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियम का पालन नहीं करती है तो सदस्य व्यवस्था का मुद्दा उठा सकते हैं; आमतौर पर विपक्ष के नेता इस उपकरण को उठाते हैं; यह एक असाधारण उपकरण है।
- विशेष उल्लेख ऐसा मामला जो किसी अन्य नियम के दौरान नहीं उठाया जा सकता है।उसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठा सकते हैं।
- प्रस्ताव वैकल्पिक शुक्रवार को निजी सदस्य संकल्प पर चर्चाकर सकते हैं।; सोमवार से गुरुवार तक मंत्रियों द्वारा पेश किया गया सरकारी प्रस्ताव; सभी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की श्रेणी में आते है।; सभी प्रस्तावों पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन के लिए आवश्यक सभी प्रस्ताव मतदान के लिए रखे जाते हैं।
- यूपीएससी 2017: संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न और अन्य संसदीय उपकरणों के माध्यम से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती हैं।

संसद में विधायी प्रक्रिया

संसद में पेश किए गए विधेयकों को भी चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- 1. साधारण बिल, जो वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हैं।
- 2. धन विधेयक, जो कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित हैं।
- 3. वित्तीय विधेयक, जो वित्तीय मामलों से भी संबंधित हैं (लेकिन धन विधेयकों से अलग हैं)।
- 4. संविधान संशोधन विधेयक, जो संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित हैं।

सार्वजनिक विधेयक निजी विधेयक 1. इसे एक मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। 1. यह एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। 2. यह सरकार (सत्तारूढ़ दल) की नीतियों को 2. यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख दर्शाता है। को दर्शाता है। 3. इसे संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने की 3. इसके संसद द्वारा अनुमोदित होने की संभावना कम अधिक संभावना है। 4. सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति सरकार में 4. सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति के संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव बराबर है और इससे सरकार को इस्तीफा देना नहीं पडता है। पड सकता है। 5. सदन में इसे पेश करने के लिए एक महीने का 5. सदन में इसे पेश करने के लिए सात दिनों के नोटिस चाहिए। नोटिस की आवश्यकता होती है। इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी

6. इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा कानून विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। संबंधित सदस्य की होती है। आजादी के बाद से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए-यूपीएससी 2017

धन विधेयक (ART.110)

- संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें 'केवल' निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के प्रावधानों से संबंधित है: 1. किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन; 2. केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन; 3. भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा; 4. भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन (यूपीएससी 2018)
- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में उनके फैसले पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है
- एक धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाए और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर।
- केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है।
- धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। यह केवल सिफारिशें कर सकता है।.

वित्तीय बिल (ART.117)

वित्तीय बिल (प्रथम)

- विधेयक जिसमें न केवल अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई या सभी मामले शामिल हैं, बल्कि सामान्य कानून के अन्य मामले भी हैं।
- एक वित्तीय विधेयक (I) एक धन विधेयक के समान है- (ए) दोनों को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं, और (बी) दोनों को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
- इसे या तो राज्य सभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है या इसकी पृष्टि की जा सकती है (सिवाय इसके कि कर में कमी या समाप्ति के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है)

- ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, राष्ट्रपति गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं।

वित्तीय विधेयक (द्वितीय)

 एक वित्तीय विधेयक (II) में प्रावधान शामिल हैं- भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं है।

- लोकसभा धन विधेयक (यूपीएससी 2013) में राज्यसभा द्वारा अनुशंसित संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक पर अपनी सहमित दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमित रोक सकता है, लेकिन सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं कर सकता।

साधारण विधेयक

- लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश किया गया
- राज्य सभा द्वारा अनुपालन या अस्वीकार किया जा सकता है।
- अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- दोनों सदनों के बीच असहमित के कारण गितरोध की स्थिति में, राष्ट्रपित द्वारा गितरोध को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
- लोकसभा में इसकी हार से सरकार का इस्तीफा हो सकता है (यदि इसे किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है)।

- यह उसी विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित होता है जो एक साधारण विधेयक पर लागू होता है।
- वित्तीय विधेयक (II) को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है
- गितरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं।

दो सदनों की संयुक्त बैठक-एक विधेयक के पारित होने पर दोनों सदनों के बीच गितरोध को हल करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक असाधारण उपकरण हैं।; राष्ट्रपित विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में बुला सकता है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है न कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थित में; यदि उपसभापित भी संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो राज्य सभा का उपसभापित अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है।

संयुक्त बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है(यूपीएससी 2015)

संसद में बजट (BUDGET IN PARLIYAMENT)

- संविधान बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, 'बजट' शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है।
- एकवर्थ कमेटी रिपोर्ट (1921) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था।
- 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था।
- राष्ट्रपित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।
- कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई
 पैसा नहीं निकाला जाएगा।
- भारत की संचित निधि पर 'भारित' व्यय नहीं होगा इसे संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हालाँकि, इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।
- अनुदान मांगों पर मतदान लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार है, अर्थात राज्य सभा को मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है।
- संसद अनुदान की किसी भी मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव भी ला सकती है।
 ऐसे प्रस्तावों को 'कटौती प्रस्ताव' कहा जाता है, जो तीन प्रकार के होते हैं:
 (a) नीति कटौती प्रस्ताव: यह मांग के तहत नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता
 है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि रुपये तक कम हो जाएगी।
 b) आर्थिक कटौती प्रस्ताव इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि से कम किया जाए
 - (c)सांकेतिक कटौती प्रस्ताव- यह एक विशिष्ट शिकायत को हवा देता है जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में ₹100 की कमी की जाएगी।
- भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों का प्रावधान करता है: 1. भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)- निधि जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं; भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इस फंड से किए जाते हैं।.संसदीय कानून (यूपीएससी) 2011 के अलावा इस फंड में से कोई भी पैसा विनियोजित (जारी या आहरित) नहीं किया जा सकता है।
 - 2. भारत का लोक लेखा (अनुच्छेद 266)-अन्य सभी सार्वजनिक धन (भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है) को भारत के लोक खाते में जमा किया जाएगा; भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण आदि शामिल हैं। यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है।
 - 3. भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) -संसद ने 1950 में भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम बनाया। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में है, और वह संसद द्वारा इसकी अनुमित मिलने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम धन की निकासी कर सकता है।

राज्य सभा की स्थिति

राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति (लोकसभा की तुलना में) का तीन स्वरूपों से अध्ययन किया जा सकता है: 1. जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। 2. जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं है। 3. जहां राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के साथ साझा नहीं की जाती हैं।

लोकसभा के साथ समान स्थिति	लोकसभा के साथ असमान स्थिति	राज्यसभा को विशेष शक्तियां
(R.S =L.S.)	(R.S <l.s)< td=""><td>(R.S←L.S)</td></l.s)<>	(R.S←L.S)
 साधारण बिल संविधान संशोधन विधेयकों का पारित होना (यूपीएससी 2020) वित्तीय बिल राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग उपाध्यक्ष का चुनाव और निष्कासन (राज्यसभा अकेले हटाने की पहल कर सकती है) राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति आपात स्थिति के लिए स्वीकृति 		राज्यसभा संसद को राज्य सूची में विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। (अनुच्छेद 249) राज्यसभा संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण करने के लिए अधिकृत कर सकता है। (Art.312) पूपीएससी 2012- राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गईं।

संसदीय विशेषाधिकारः

संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी सिमतियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट हैं। संसदीय विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रियों को भी मिलते हैं लेकिन संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते हैं जो संसद का अभिन्न अंग भी है।

मूल रूप से, संविधान (अनुच्छेद 105) ने स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया है, अर्थात्, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी जांच के प्रकाशन का अधिकार।

सामूहिक विशेषाधिकार

- इसे अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।
- यह गैर संसदीय सदस्यों को अपनी जांच से बाहर कर सकता है और गुप्त बैठकें आयोजित कर सकता है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

व्यक्तिगत रूप से सदस्यों से संबंधित विशेषाधिकार हैं:

- 1. उन्हें संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। (केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है और आपराधिक मामलों में नहीं)
- यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और निर्णय लेने के लिए नियम बना सकता है।
- यह अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी दंडित कर सकता है।
- 5. इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- अदालतों को किसी सदन या उसकी सिमतियों की जांच की जांच करने से मना किया जाता है।
- 7. पीठासीन अधिकारी की अनुमित के बिना किसी भी व्यक्ति (या तो सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और कोई कानूनी प्रक्रिया (सिविल) या आपराधिक) सदन के परिसर के भीतर नहीं की जा सकती है।

- 2. उन्हें संसद में बोलने की आजादी है। कोई भी सदस्य संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी अदालत में किसी भी जांच के लिए जवाबदेह नहीं है।
- 3. उन्हें न्यायिक सेवा से छूट दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो तो वे अदालत में लंबित मामले में साक्ष्य देने से मना कर सकते हैं और गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं।

विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना-जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से या सदन की सामूहिक क्षमता में किसी भी विशेषाधिकार, अधिकारों और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय होता है।

कोई भी कार्य या चूक जो संसद के किसी सदन, उसके सदस्य या उसके अधिकारी को उनके कार्यों के प्रदर्शन में बाधा डालती है-सदन की अवमानना के रूप में मानी जाती है।

राज्य विधानमंडल (भाग VI ART.168-212)

- वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
- केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर राज्य, बिहार।
- ART.169: संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है- यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। इस तरह के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले विधानसभा के दो-तिहाई सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

विधानसभा की संरचना

- विधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं
- इसकी अधिकतम शक्ति 500 और न्यूनतम शक्ति 60 निर्धारित की गई है; अरुणाचल क्षेत्र, सिक्किम और गोवा के मामले में, न्यूनतम संख्या 30 तय की गई है।

विधानपरिषट की संरचना

- विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का एक तिहाई निर्धारित की जाती है और न्यूनतम शक्ति 40 (यूपीएससी 2015) निर्धारित की जाती है।
- संविधान ने प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जनसंख्या अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान कियाहै।
- हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं तय की हैं, फिर भी परिषद की वास्तविक संख्या संसद द्वारा तय की जाती है।
- विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से
- 1. **1/3** राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डी, आदि के सदस्यों द्वारा निर्वाचित,
- 2. **1/12 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं** राज्य के भीतर तीन साल,से रहने वाले व्यक्ति।
- 3. 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं राज्य में तीन साल से माध्यमिक विद्यालय एवं इससे ऊपर के विद्यालय में शिक्षक।
- 4. 1/3 राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं उन व्यक्तियों में से जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, और 5. 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

विधानसभा की अवधि :

- इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनावों के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष है।
- हालांकि, राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग करने के लिए अधिकृत है (यानी, पांच साल पूरे होने से पहले भी)
- राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान संसद के कानून द्वारा विधानसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

परिषद की अवधि,

- विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है।
- इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो एक सदस्य छह साल के लिए सदस्य रहता है।
- सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार फिर से चुनाव और फिर से नामांकन के लिए पात्र हैं।

विधानसभा अध्यक्षः

- अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है
- जीवन भर पद पर बना रहता हैविधानसभा का; विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा सदस्य नहीं रहते हैं तो वे अपना पद छोड देंगे (यूपीएससी 2018)
- इवनिफ एसएलए भंग वक्ताओं में रहता हैअगले अध्यक्ष के कार्यालय शुरू होने तक कार्यालय
- उन्हें विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था। ऐसा संकल्प 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है
- वह पहली बार में मतदान नहीं करता है।
 लेकिन, वह बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।

परिषद का सभापति :

- सभापति का चुनाव परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। (यूपीएससी 2015)
- उसे परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है।
- अध्यक्ष के पास एक विशेष शक्ति होती
 है जिसका लाभ सभापित द्वारा नहीं लिया
 जाता है
- अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

विधानसभा के उपाध्यक्ष:

- डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी विधानसभा अपने सदस्यों में से ही करती है
- उन्हें विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा संकल्प 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है।
- वह उपाध्यक्ष के रिक्त होने पर अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है।

परिषद के उपाध्यक्ष,

- उपसभापित का चुनाव भी परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- उन्हें परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था। ऐसा संकल्प 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है।
- उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद के रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। वह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है जब अध्यक्ष परिषद की बैठक से अनुपस्थित

रहता है।

संसदीय समितियां(PARLIAMENTARY COMMITTEES)

- भारत का संविधान इन सिमितियों का अलग-अलग स्थानों पर उल्लेख करता है, लेकिन उनकी संरचना, कार्यकाल, कार्यों के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
- उस सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा नियुक्त या मनोनीत समितियां
- मंत्री वित्तीय सिमिति के लिए पात्र नहीं है; विभागीय सिमिति; महिला सशक्तिकरण;
 सरकारी आश्वासन सिमिति; एस.सी एस.टी सिमितियों की याचिकाएं एवं कल्याण सिमिति

1. वित्तीय समितियां

लोक लेखा समिति	प्राक्कलन समिति	सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
 भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार समिति की स्थापना की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7)(यूपीएससी 2013,2007) सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। 1967 से यह परंपरा विकसित हुई है जिसके तहत समिति के अध्यक्ष का चयन हमेशा विपक्ष से किया जाता है। समिति का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करना है। (यूपीएससी 2013; 2012) 	 1921 में स्थापित स्वतंत्रता के बाद पहली अनुमान सिमिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। 30 सदस्य- सभी तीस सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। (UPSC 2014) इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कार्यालय की अवधि एक साल होती है। 	 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर बनाया गया 1974 में, इसकी सदस्यता 22 (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7) तक बढ़ा दी गई थी। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं

- सिमिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजिनक व्यय में 'अर्थव्यवस्था'के अनुरूप खर्च का सुझाव देना है।
- 2. विभागीय स्थायी समितियाँ (24)
- 3. **जांच के लिए सिमितियां** (a) याचिका सिमिति (b) विशेषाधिकार सिमिति (c) आचार सिमिति
- 4. जांच और नियंत्रण के लिए समितियां (a)सरकारी आश्वासनों पर समिति(b) अधीनस्थ विधान पर समिति-यह समीक्षा को सदन को रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा या संसद द्वारा प्रत्यायोजित कानूनों द्वारा नियम, उप नियम बनाने की शक्ति का कार्यकारी अधिकारियों (यूपीएससी2018) द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। (c) सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की समिति (d) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति (e) महिला अधिकारिता पर समिति (f) लाभ के पदो पर संयुक्त समिति
- 5. **दिन-प्रतिदिन के सदन की कार्यकारिणी से संबंधित समितियाँ** (a) कार्य सलाहकार सिमिति (b) निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर सिमिति (c) नियम सिमिति (d) सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर सिमिति
- 6. **गृह व्यवस्था सिमिति** (सदस्यों को सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित सिमितियां: (a) सामान्य प्रयोजन सिमिति (b) आवास सिमिति (c) पुस्तकालय सिमिति (d) सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त सिमिति
- सलाहकार सिमिति- ये संसदीय सिमितियां नहीं हैं। मंत्री/राज्य मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं; यह अनौपचारिक चर्चा का मंच है जिसे संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है।
- नोट*- महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति संसदीय सिमतियों के सदस्य हो सकते हैं।

संसदीय मंच(PARLIYAMEMTRY FORM)

- जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित किया गया था।
- सात और संसदीय मंचों का गठन किया गया। वर्तमान में, आठ संसदीय हैं।
- उद्देश्य- सदस्यों को संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना; सदस्यों को चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और जमीनी स्तर की स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाना और उन्हें नवीनतम जानकारी से अवगत करना मंच की संरचना-लोकसभा अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच को छोड़कर सभी मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसमें राज्यसभा का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है।
- प्रत्येक फोरम में 31 से अधिक सदस्य (राष्ट्रपित, सह-अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़कर)
 नहीं होते हैं, जिनमें से 21 से अधिक लोकसभा से नहीं होते हैं और 10 से अधिक

राज्यसभा से नहीं होते हैं।

 मंच के सदस्यों के सदस्यता की अविध संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ-साथ होती है।

संसदीय समूह(PARLIYAMENTRY GROUP)

- अंतर संसदीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए संसदीय समूह की स्थापना की गई।
- अंतर संसदीय समूह जो अंतर-संसदीय संघ (IPU) के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)) की भारत शाखा दोनों के रूप में कार्य करता है।
- अंतर संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन वर्ष 1949 . में हुआ था
- लोकसभा का अध्यक्ष समूह का पदेन अध्यक्ष होता है।
- लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।
- लोकसभा का महासचिव समूह के पदेन महासचिव के रूप में कार्य करता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन ,न्यायक्षेत्र , शक्तियों आदि का उल्लेख संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन ,न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों आदि का उल्लेख

- उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया ।
- भारत में न्यायपालिका की एकल प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अपनाया गया ।इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना जो कि स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय बना गया ।
- 1950 में उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली जो की पूर्व में अपील का सर्वोच्च न्यायालय था।
- संविधान उच्चतम न्यायालय की सीट के लिए दिल्ली स्थान को घोषित करता है ।हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
 130 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की सीट स्थापित कर सकते हैं।
- संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, हालांकि

- उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 1862 में हुई जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया
- भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया।
- वर्तमान में (2019) देश में 25 उच्च न्यायालय हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

 प्रत्येक उच्च न्यायालय (चाहे अनन्य या साझा)
 में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद नियुक्त किया

- संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है
- उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। (यूपीएससी 2015)

नियुक्ति

 उच्चतम न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या)संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 31 से बढाकर 34 कर दी है।

- जाता है ।
- 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु बने कॉलेजियम सिस्टम को एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था किंतु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम एवं संविधान संशोधन दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है ।
- तीसरे न्यायाधीश मामले (1998)- के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को "परामर्श" से आशय बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया से है।

अर्हताएं

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे कम से कम 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए अथवा

योग्यता

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए
- उसे दस साल के लिए भारत में क्षेत्र
 न्याय कार्य का अनुभव हो
- उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो ।
- संविधान किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं करता है

शपथ:

 राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान के बाद सदस्यता ग्रहण करता है ।

कार्यकाल:

- संविधान ने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है।
- वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है
- वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है
- उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपित के आदेश के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के आधार -1) दुर्व्यवहार 2) अक्षमता

10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।

 संविधान ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है

शपथ

 उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है ।

कार्यकाल

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है।
- वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है
- वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है
- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
 उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए ।

न्यायाधीशों को हटाना

- राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपित ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाया जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो साथ ही इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया उपबंध करता है।

न्यायाधीशों को हटानाः

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है
- 100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्य (राज्य सभा के मामले में) के हस्ताक्षर वाले निष्कासन प्रस्ताव को अध्यक्ष/सभापित को सौंपना होता है
- अध्यक्ष/ सभापित प्रस्ताव को स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है
- स्वीकृति के बाद प्रत्येक सदन द्वारा निष्कासन प्रस्ताव के विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है।

- हटाने का प्रस्ताव 100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्य सभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित करके अध्यक्ष / सभापति को दिया जाना चाहिए।
- अध्यक्ष/सभापित इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से इंकार कर सकते हैं।
- स्वीकार किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष/सभापित जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करता है।
- संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से निष्कासन प्रस्ताव पारित होने के बाद, न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किया जाता हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है; जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अस्थाई रुप से अनुपस्थित हो अथवा वर्तमान मुख्य न्यायधीश अपने दायित्वों के निर्वहन करने में असमर्थ हो।

तदर्थ न्यायाधीश

जब उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम की कमी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अविध के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश-किसी भी समय, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अविध के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार

मूल क्षेत्राधिकार (यूपीएससी 2012)

- किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है।
- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो अथवा अपने कार्य करने में असमर्थ हो।

अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश

उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थाई रूप से नियुक्त कर सकते हैं और यह अविध 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश

राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अविध के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां

मूल न्यायाधिकार

इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की विवादों को प्रथम दृष्ट्या सीधे ही सुनने की शक्ति है न की अपील के माध्यम से। यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित मामलों तक फैला हुआ है:

- (ए) अदालत की अवमानना के मामले।
- (बी) संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
- (c) राजस्व मामलों या राजस्व संग्रह में आदेशित या किए गए अधिनियम के संबंध में।
- (d) नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
- (e) ऐसे मामलों को एक अधीनस्थ अदालत से स्थानांतरित करने का आदेश देना जिसमें संविधान की व्याख्या का विषय शामिल है।

अनुच्छेद 131 के तहत संविधान के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय संघीय ढांचे से संबंधित किसी भी विवाद का मूल अधिकार क्षेत्र होगा। किसी भी विवाद को जो

- i) केंद्र व किसी एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच हों
- ii) केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना

iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद

उपरोक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है। इसका अर्थ है की कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवादों का निपटारा एवं निर्णय नहीं कर सकता है। इस न्यायाधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं

- i) पूर्व-संवैधानिक संधि;
- ii) अंतर्राज्यीय जल विवाद
- iii) वित्त आयोग को संदर्भित करने वाला मामला
- iv) मूल अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं है
- v) केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई

रिट क्षेत्राधिकार

- उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है । उच्चतम न्यायालय विभिन्न रीटो के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करता है ।
- इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में एक अंतर है ।उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी करता है अन्य देशों से नहीं जबिक दूसरी ओर उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है ।इस प्रकार रीट अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की तलना में अधिक विस्तत है।

रिट क्षेत्राधिकार

- संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है
- उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) अनन्य नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के लिखित क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ समवर्ती है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

एक उच्च न्यायालय मुख्य रूप राज्य क्षेत्र में अपील की अदालत है। यह अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है।

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

एक उच्च न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्ति होती है जिससे वह अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण रखता है। (सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर)

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए एक उच्च

अपीलीय क्षेत्राधिकार

- उच्चतम न्यायालय संघीय एवं प्रधान न्यायालय होने के कारण इसे विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे चार भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - (ए) संवैधानिक मामलों में अपील। (बी) नागरिक मामलों में अपील। (सी) आपराधिक मामलों में अपील। (डी) विशेष अनुमति द्वारा अपील।

सलाहकार क्षेत्राधिकार (यूपीएससी 2010)

- संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:
 - (ए) विधि संबंधी प्रश्न जो सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है (सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इंकार भी कर सकता है) (बी) किसी भी संविधान पूर्व की संधि एवं समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर।

न्यायालय की शक्ति है।

अभिलेख न्यायालय

रिकॉर्ड या अभिलेख की अदालत के रूप में, एक उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां होती हैं: (ए) उच्च न्यायालयों के निर्णय, कार्यवाही और कार्य स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन (उच्चतम न्यायालय को इस संबंध में अपनी राय देनी अनिवार्य है)

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

 न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है।

संवैधानिक व्याख्या

 सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार एवं अर्थ विवेचनकर्ता है ।

अभिलेख न्यायालय

उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां

- यह राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का फैसला करता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण और व्यवहार की जांच करता है।
- इसके पास अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
- इसके पास न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है और देश के पूरे क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर नियंत्रण है।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन
124A राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
130 सुप्रीम कोर्ट की सीट
141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी
अदालतों के लिए बाध्यकारी है
143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने
की राष्ट्रपति की शक्ति

अभिलेखों को साक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है। उन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में पहचाना जाता है।

b) इसमें अदालत की अवमानना के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित करने की शक्ति है। अभिव्यक्ति 'अदालत की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है किंतु इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेख

222. एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 227. उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति

न्यायिक समीक्षा(JUDICIAL REVIEW)

- न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुआ ।
- भारतीय संविधान न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल विशेषता या संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया है
- न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की एक शक्ति के रूप में है।(यूपीएससी 2017)
- निम्नलिखित कारणों से न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है: (ए) संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए।भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संविधान के अनुरूप होना अनिवार्य है। (बी) संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए (केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन)। (सी) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तािक संविधान बरगद मूल अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके।
- यद्यपि "न्यायिक समीक्षा "' शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, कई अनुच्छेदों के प्रावधान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं।
- न्यायिक समीक्षा से संबंध रखने वाले संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख अधोलिखित है:
 1. अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं
 या उनका अपमान करते हैं, वह निरस्त माने जाएंगे।
 - 2. अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय को उस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।
 - 3. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।
 - 4. अनुच्छेद 372 पूर्व संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता संबंधित है। 5.अनुच्छेद131,132,134,135,136,143,227,245,246, आदि।
- भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, हालांकि अमेरिकी संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है ।
- अमेरिकी संविधान में 'कानून की समुचित प्रक्रिया' को 'कानून द्वारा स्थापित पद्धित' के ऊपर वरीयता मिलती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की समुचित प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा की विशद शक्ति के कारण आलोचकों द्वारा इसे थर्ड चैंबर ऑफ द लिजिस्लेचर भी कहा गया है।

नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 31बी नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है।
- अनुच्छेद 31B और नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया ।
- आईआर कोएल्हो मामले (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने माना कि

न्यायिक समीक्षा संविधान की एक 'बुनियादी विशेषता' है और इसे नवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता है। (यूपीएससी 2018)

सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल, 1973 के बाद नवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून,अगर वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है ।

न्यायिक सक्रियता-(JUDICIAL ACTIVISM)

- न्यायिक सिक्रियता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। भारत में, न्यायिक सिक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रचलन में आया। जिस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जिस्टिस पीएन भगवती, जिस्टिस ओ. चिनप्पा रेड्डी और जिस्टिस डीए देसाई भारत में न्यायिक सिक्रियता के अग्रदूत थे।
- न्यायिक सिक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सिक्रिय भूमिका को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका से है।
- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनिहत याचिका (पीआईएल) की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। पीआईएल या जनिहत याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है।
- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्निहित है जो कि न्यायालय को संविधान को अनुपालन रखने तथा संविधान के लिए अनुपयुक्त प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है ।
- न्यायायिक सक्रियता सरकार के अन्य अंगों की कर्तव्य शीलता एवं सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायिक उपकरण भी है।
- न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही एक रूप है जिसमें न्यायाधीश विधि निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं , ना केवल विधि की रक्षा करते हैं बल्कि उन्हें कायम रखते हैं तथा संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में विधि की वैधता सुनिश्चित करते हैं ।
- 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जनिहत याचिका के रूप में प्राप्त पत्रों या याचिकाओं पर विचार करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट दिया। इन दिशानिर्देशों को 1993 और 2003 में संशोधित किया गया था।

न्यायिक सक्रियता से जुड़ी आशंकाएं

- न्यायालय की अधिक सिक्रियता विधायिका, कार्यपालिका एवं अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों में बंधन बन सकती है।
- न्यायिक सिक्रियता स्वस्थ लोकतंत्र के पोषण में सहायक है अथवा लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं में एक बाधक है।
- न्यायिक सक्रियता न्यायिक नियंत्रण के स्थान पर न्याय का अतिक्रमण को बढ़ावा देती है।

न्यायिक संयम

यह अमेरिका में न्यायिक सक्रियता के साथ ही प्रचलित एक न्यायिक व्यवस्था है। यह न्यायाधीशों की भूमिका को सीमित एवं संयमित करने पर बल देती है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों का काम कानून क्या है यह बताना है कानून बनाने का काम विधायिका एवं कार्यपालिका को सौंपा गया है

।साथ ही न्यायाधीशों के निजी विचारों को भी न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने से रोकता है । न्यायिक संयम राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था की संगति में है और इसे पूरकता प्रदान करता है।

न्यायाधिकरण(TRIBUNALS)

- मूल संविधान में न्यायाधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं थे। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग XIIV-A जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण (अधिकरण) नाम दिया गया है।
- इसमें दो अनुच्छेद शामिल हैं-अनुच्छेद 323 (क) प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है और अनुच्छेद 323 (ख) अन्य प्रकार के न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 323 (क) संसद को विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निर्णय लेने में सक्षम बनाता है ।संसद को यह अधिकार है की वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को सिविल अदालतों और उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से अलग कर इसे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष रखने की व्यवस्था कर सकती है ।
- इसी के अनुरूप संसद ने अनुच्छेद 323(क) के अनुकरण में प्रशासनिक अधिकरण 1985 अधिनियम पारित किया है । यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) के गठन का अधिकार देता है । यह अधिनियम किसी पीड़ित लोकसेवक को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करने के संबंध में महत्व पूर्ण है ।
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) दिल्ली में प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ 1985 में स्थापित किया गया ।
- CAT लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों के संबंध में न्याय निर्णयन करता है । इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैला हुआ है।
- CAT एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा सदस्यों का स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष कर दिया गया है। वर्तमान में CAT में अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। ये न्यायायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कार्यकाल के रूप में अध्यक्ष हेतु 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक तथा सदस्यों हेतु 5वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो तय किया गया है।
- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र द्वारा राज्यों की विशिष्ट मांग के आधार पर उक्त अधिनियम की तहत ही की गई है ।
- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इस अधिनियम में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है।
- अनुच्छेद 323 (ख) संसद और राज्य विधायिका को निम्नलिखित अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकृत करता है (ए) कराधान
 - (बी) विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
 - (सी) औद्योगिक और श्रम

(डी) भूमि सुधार (ई) शहरी संपत्ति पर उच्चतम सीमा (एफ) संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव (जी) खाद्य सामग्री , आदि ।

अधीनस्थ न्यायालय(SUBORDINATE COURT)

- संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन और कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं ।
- किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।(अनुच्छेद 233)
- किसी राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।(अनुच्छेद 234)
- अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होता है। (अनुच्छेद 235)
- राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना ,अधिकार क्षेत्र एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NLSA)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए निशुल्क न्याय सहायता सुनिश्चित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था स्निश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।
- वर्ष 1987 में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NलोकसभाA) अधिनियम अधिनियमित किया गया
 था जो कि नवंबर 1995 से लागू हुआ ।इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करना था।
- NलोकसभाA देशभर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण(SलोकसभाA) के लिए नीतियां ,सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है तथा प्रभावी एवं आवश्यक योजनाएं भी बनाता है।

लोक अदालत(LOK ADALAT)

- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ है 'लोगों की अदालत'। लोक अदालत न्याय व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप के अनुरूप है जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता भी है।
- यह प्रणाली गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
- लोक अदालत की कार्यवाही में कोई भी विजयी अथवा पराजित नहीं होता यहां आपस में दोनों पक्षों के बीच सुलह द्वारा न्याय से परस्पर विद्वेष नहीं रह जाता।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान(ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है।
- चूंिक भारतीय अदालतें लंबित न्यायिक मामलों के बैकलॉग के बोझ से दबी हुई है
 ।नियमित अदालतों को लंबी, महंगी और थकाऊ प्रक्रिया वाली न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप ही निर्णयन करना होता है। ऐसे में लोक अदालत एक प्रभावी न्यायिक विकल्प

के रूप में है । यह आम जन को अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित न्याय उपलब्धि करवाने में कारगर है ।

- स्वतंत्रता के बाद 1982 में गुजरात में पहले लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया था। इस पहल की विवाद निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसके परिणाम स्वरूप लोक अदालतों का प्रचलन देश भर में बढ़ा ।
- लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।
- यहां कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
- लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त होती है जो कि सिविल कोर्ट को कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर (1908) के अंतर्गत प्राप्त होती है।
- लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के निर्णय अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह ही मान्य होगा।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा ।
- लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

स्थायी लोक अदालत

- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 2012 में संशोधित कर जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की तुलना में उच्च न्यायिक पद धारण कर चुका हो ।
- स्थाई लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक जनोपयोगी सेवाएं होंगी जिसमें परिवहन
 ,डाक ,टेलीग्राफ ,टेलीफोन ,विद्युत ,जलापूर्ति ,स्वच्छता, अस्पताल और बीमा सेवाएं आदि शामिल होंगी।
- स्थायी लोक अदालत का वित्तीय क्षेत्राधिकार दस लाख रुपए तक होगा।
- स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय उसके सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा ।यह निर्णय लोक अदालत के गठन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों के बहुमत से होगा।

पारिवारिक न्यायालय

- परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता और बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- उक्त अधिनियम राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमित से परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है।
- उक्त अधिनियम राज्य सरकार द्वारा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना को बाध्यकारी बनाता है
- केवल एक ही अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जो उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है

ग्राम न्यायालय (यूपीएससी 2016)

- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को ग्राम स्तर पर न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।
- गरीबों और साधनहीनों तक न्याय सुलभ कराना ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रमुख

कारण है। यह संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुपालन में है।

- ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मिजस्ट्रेट का न्यायालय होगा और इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
- ग्राम न्यायालय एक प्रचालित न्यायालय होगा और आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- ग्राम न्यायालय जहां तक संभव हो, पक्षों के बीच सुलह कराकर विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा और इस उद्देश्य के लिए, वह इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले सुलहकर्ताओं का उपयोग करेगा।
- ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों ,दीवानी मुकदमों एवं वादों पर अदालती कार्यवाही चलेगी जैसा की अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होगा।
- दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालय में दाखिल होगी जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के छह माह की अविध के अंदर किया जाएगा ।
- आपराधिक मामलों में अपील सत्र न्यायालय में होगी, जिसे ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अविध के भीतर सुना और निपटाया जाएगा। एक आरोपित व्यक्ति अपराध दंड को कम करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (भाग XXI, ART.371-371 J)

- संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-j में बारह राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल क्षेत्र, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान हैं।
- मूल रूप से, संविधान ने इन राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया था।
- 371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान (7वॉ संविधान संशोधन)
- 371a. नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (13 वां संविधान संशोधन)
- 371b असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (22 वां संविधान संशोधन)
- 371c. मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (27वां संविधान संशोधन)
- 371d. आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान(32 वां संविधान संशोधन)
- 371e.आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
- 371f.सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों के साथ (36 वां संविधान संशोधन-पूर्ण राज्य का दर्जा)
- 371g. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (53वां संविधान संशोधन)
- 371h अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (55 वां संविधान संशोधन)
- 371-i. गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (56 वां संविधान संशोधन)
- 371 j. कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (98 वां संविधान संशोधन)

भाग-V स्थानीय सरकार, पंचायती राज (भाग IX; 11वीं अनुसूची)

• इसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है। इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन

अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।

• स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (यूपीएससी 2017) के रूप में सबसे बेहतर व्याख्या करता है।इसके अनुसार पंचायती राज का मूल उद्देश्य-विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों को शामिल करना है। (यूपीएससी 2015)

पंचायती राज का विकास

- बलवंत राय मेहता समिति (जनवरी 1957): त्रि स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा
- अशोक मेहता समिति (दिसंबर 1977): द्वि स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की
- जी.वीके राव समिति (1985): द्वि स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा
- दंतेवाला समिति.(1978)- ब्लॉक स्तरीय योजना
- हनुमंत राव समिति.: जिला स्तरीय योजना
- एल.एम सिंघवी (1986) -पंचायती राज का पुनरुद्धार किया।
- थुंगन समिति(1988)- ने त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की।
- गाडिंगल सिमिति (1988) ने त्रि स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की

सिफारिश की।

- **73 वां संशोधन अधिनियम 1992** (यूपीएससी 2011)
- इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है। यह भाग 'पंचायतों' के रूप में स्थानीय स्वशासन की व्याख्या करता है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 0 तक के प्रावधान शामिल हैं।
- इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-G. से संबंधित है।
- ग्राम सभा यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र वाले गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय होगा। इस प्रकार, यह एक पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर एक ग्राम सभा है।
- त्रि-स्तरीय प्रणाली -यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, अर्थात गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें।
- सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
- सीटों का आरक्षण- अधिनियम प्रत्येक पंचायत (अर्थात तीनों स्तरों पर) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई से कम नहीं के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- पंचायतों की अवधि-इस अधिनियम में पंचायत को हर स्तर पर पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान है। हालांकि, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। इसके अलावा, पंचायत के गठन के लिए नए चुनाव (a) पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा; या (b) विघटन के मामले में, इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले - पंचायत पुनर्गठन के बाद ।यह कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है। (यूपीएससी 2016; 2009)
- अयोग्यताएं एक व्यक्ति को पंचायत की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि पंचायत का सदस्य होने के नाते वह (a) संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के उद्देश्य से उस समय लागू किसी कानून के तहत, या (b) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत तथापि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया

जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। (यूपीएससी 2016)

- राज्य चुनाव आयोग- निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा पंचायतों के समस्त निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। एवं इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार पर ही हटाया जाएगा।
- राज्य वित्त आयोग-किसी राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पांच वर्ष के बाद, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा; राज्यपाल करों और कर्तव्यों को निर्धारित कर सकते हैं।(यूपीएससी 2010)
- अनिवार्य प्रावधान (73 वां संविधान संशोधन 1992)
- 1. किसी ग्राम या ग्राम के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- 2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
- 3. पंचायत में सभी सीटों के लिए ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव।
- 4. मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
- 5. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मताधिकार।
- 6. पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- 7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- 8. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- 9. पंचायतों के लिए सभी स्तरों पर पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
- 10. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
- 11. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।

1996 का पेसा अधिनियम (यूपीएससी 2013; 2012),

- पंचायतों से संबंधित, संविधान के भाग IX के प्रावधान पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन जो वह निर्दिष्ट कर सकते हैं। इस प्रावधान के तहत, संसद ने "पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम", 1996 को अधिनियमित किया है, जिसे लोकप्रिय रूप से पेसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान (2019) में दस राज्यों में पांचवी अनुसूची क्षेत्र आते है।
- प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हो।
- पारंपरिक अधिकारों की पहचानने के लिए।
- आदिवासियों को शोषण से मुक्त कर स्वशासन प्रदान करना।
- ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा। जिसके लिए संविधान के भाग IX के तहत आरक्षण देने की व्यवस्था की

गई है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। इसके अलावा, सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

- अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायतों को दी जाएगी।
- उपखनिजों के नीलामी द्वारा दोहन हेतु रियायत प्रदान करने हेतु उचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

नगरपालिकाएं (भाग IX-A; 12वीं अनुसूची)

- भारत में 'शहरी स्थानीय शासन' का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है।
- 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी शासन की व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया था।
- केन्द्रीय स्तर पर, 'नगरीय स्थानीय शासन' के विषय को निम्नलिखित तीन मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है (i) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। (ii) छावनी बोर्डी के मामले में रक्षा मंत्रालय (iii) केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय
- वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प ने स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के विकास की कल्पना की। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया है। उन्हें भारत में 'स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा जाता है। 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।

• 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम

- 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा है । इस भाग में अनुच्छेद 243-P से 243-ZG के प्रावधान शामिल हैं।
- इसके अलावा, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है।
 इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की अठारह कार्यात्मक विषय वस्तुएं शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-W से संबधित है।
- नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।
- यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगरपालिका क्षेत्र में कुल जनसंख्या के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरिक्षत सीटों की संख्या सिहत) के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अविध पांच साल निर्धारित करता है। हालांकि, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसके अलावा, नगर पालिका के गठन के लिए नए चुनाव (1) पांच साल की अविध की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा; या (2) विघटन के मामले में, इसे विघटन होने की तारीख से छह महीने की अविध की समाप्ति से पहले।
- एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह (a) संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू

किसी भी कानून के तहत; या (b) राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत। तथापि, कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

शहरी शासन के प्रकार(TYPES OF URBAN GOVERNANCE)

- 1. **नगर निगम** दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर और अन्य जैसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए नगर निगम बनाए गए हैं। एक नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं, अर्थात् परिषद, स्थायी समितियाँ और आयुक्त परिषद। इसका नेतृत्व एक मेयर करता है। उन्हें एक डिप्टी मेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वह एक साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए अधिकांश राज्यों में चुने जाते हैं। नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह आम तौर पर आई. ए. एस का सदस्य होता है।
- 2. **नगर पालिका** नगरों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते है।
- 3. अधिसूचित क्षेत्र सिमिति -एक अधिसूचित क्षेत्रसमिति दो प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई गई है-एक औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, और एक शहर जो अभी तक नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। लेकिन नगर पालिका के विपरीत, यह पूरी तरह से नामांकित निकाय है, अर्थात अध्यक्ष सिहत अधिसूचित क्षेत्र सिमिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- 4. टाउन एरिया कमेटी -एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए एक टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है। यह एक अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है और इसे जल निकासी, सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग और संरक्षण जैसे सीमित संख्या में नागरिक कार्यों के साथ सौंपा गया है। यह एक राज्य विधायिका के एक अलग अधिनियम द्वारा बनाया गया है।
- 5. **छावनी बोर्ड** एक छावनी बोर्ड की स्थापना तब की जाती है जब छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन की आवश्यकता होती है।। यह 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है -(केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून) एक छावनी बोर्ड में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य पांच वर्ष की अविध के लिए पद धारण करते हैं जबिक नामांकित सदस्य (अर्थात, पदेन सदस्य) तब तक बने रहते हैं जब तक वे उस छावनी में पद धारण करते हैं।
- 6. **नगर निगम** इस प्रकार की शहरी सरकार की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों के पास बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है। इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है।
- 7. **पोर्ट ट्रस्ट**-पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इसी तरह यह दो उद्देश्यों के लिए: (a) बंदरगाहों का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए; और (b) नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। एक पोर्ट ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है।

भाग-VI संघ राज्य क्षेत्र और विशेष संघ राज्यक्षेत्र(भाग VIII;ART.239-241)

- संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में शामिल किया गया हैं: (a) राज्यों के क्षेत्र; (b) केंद्र शासित प्रदेशों; और (c) वह क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं।
- ब्रिटिश शासन के दौरान, कुछ क्षेत्रों को 1874 में 'अनुसूचित जिलों' के रूप में गठित किया गया था। बाद में,उन्हें 'मुख्य आयुक्त प्रांतों' के रूप में जाना जाने लगा।
- 1956 में, उन्हें 7वें संविधान द्वारा 'केंद्र शासित प्रदेश' के रूप में गठित किया गया। संशोधन अधिनियम (1956) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) के तहत।
- हिमाचल प्रदेश, मिणपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो राज्य है यह पहले केंद्र शासित प्रदेश थे।
- वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. वे हैं (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह-1956, (2) दिल्ली-1956, (3) लक्षद्वीप-1956, (4) पुडुचेरी- 1962, (5) चंडीगढ़-1966, (6) जम्मू और कश्मीर-2019 और (7) लद्दाख-2019, (8) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव-2019
- प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है न कि राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया।
- राष्ट्रपति एक प्रशासक के पद को निर्दिष्ट कर सकता है; यह लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है।
- वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार का प्रसाशन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के मामले में प्रशासक।
- पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों (1963 में), दिल्ली (1992 में) और जम्मू और कश्मीर (2019 में) को एक विधान सभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद प्रदान की गयी है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट का दो केंद्र शासित प्रदेशों- दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव पर अधिकार क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को क्रमशः कलकत्ता, पंजाब और हिरयाणा, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों के अधीन रखा गया है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय है।

दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान-69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया और दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया। इसने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (उपराज्यपाल द्वारा नहीं)। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान मंत्री पद धारण करते हैं।

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (भाग X ART.244)

- संविधान के भाग X में अनुच्छेद 244 में 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार राज्यों

को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। (यूपीएससी 2015; 2008)

- दूसरी ओर, संविधान की छठी अनुसूची, चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। (यूपीएससी 2015)
- अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा : राष्ट्रपित को अधिकार है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। वह अपने क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, उसकी सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकता है, ऐसे पदनाम को फिर से लागू कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर इस तरह के पदनाम के लिए नए आदेश दे सकता है।
- राज्य और केंद्र की कार्यकारी शक्ति: किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके
 अनुसूचित क्षेत्रों तक फैली हुई है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है।
- अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून : राज्यपाल को अधिकार है यह निर्देश देना कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू न हो या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू हो।
- छठी अनुसूची के तहत संविधान में चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं।
- राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गिठित करने का अधिकार है।
 इस प्रकार, वह उनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या उनके नाम बदल सकता है।
- संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।

संवैधानिक निकाय(CONSTITUTION BODY)

<u>संघ लोक सेवा आयोग(UPSC)</u>

(भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक)

संरचना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य अवधि- 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

योग्यता-कोई निर्धारित योग्यता नहीं है अन्यथा 50% सदस्य के पास 10 वर्षों का सामाजिक क्षेत्र का अनुभव होना आवश्यक है।

निष्कासन:

अनुच्छेद 319 के तहत दिवालिया, लाभ के पद या दिमाग या शरीर की दुर्बलता और दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना। सुप्रीम कोर्ट की सलाह प्रकृति में बाध्यकारी है। (हटाने के लिए)

सदस्य केवल एक बार यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष के अलावा अन्य

राज्य लोक सेवा आयोग(SPSC)

(भाग XIV में अनुच्छेद 315, 323)

संरचना -राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यो की नियुक्ति अविध - 6 वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु तक। योग्यता- कोई योग्यता नहीं, 50% सदस्यों के पास 10 वर्षों के लिए सामाजिक क्षेत्र का अनुभव होना आवश्यक है।

निष्कासन-

केवल अध्यक्ष द्वारा उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है।

कोई दूसरा कार्यकाल नहीं।(कार्यकाल की सुरक्षा)

इसकी भूमिका यूपीएससी जैसी ही है लेकिन राज्य के लिए है।

रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं।

भूमिका-इसकी भूमिका एवं सलाह सिफारिशे एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में है।

<u>निर्वाचन आयोग(ELECTION</u> COMMISION)

अनुच्छेद 324 <u>निर्वाचन आयोग</u> को अखिल भारतीय निकाय के रूप में स्थापित करता है।

अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग 3 सदस्य निकाय है - मुख्य चुनाव आयोग (CEC), 2 चुनाव आयुक्त (EC) राष्ट्रपति द्वारा 6 या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। सेवाओं की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। (यूपीएससी 2017)

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आधार पर CEC को उसी तरह से हटाया जा सकता है।जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। CECकी सिफारिश पर राष्ट्रपति EC को हटा सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य अनु लाभ प्राप्त होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

-इनके पास प्रशासनिक सलाह और अर्ध न्यायिक शक्ति होती है।

चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है-यूपीएससी 2017

कोई निर्धारित योग्यता नहीं, सदस्यों के कार्यालय की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है और EC के लिए पदोन्नति द्वारा CEC के अलावा कोई अन्य नियुक्ति नहीं है और इसी प्रकार CEC के लिए कोई नियुक्ति नहीं है।

जीएसटी परिषद(GST COUNCIL)

अनुच्छेद 279A 101 संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम 2016, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई।

वित्त आयोग(FINANCE COMMISSION)

अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है।

वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है।

यह कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है।

इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और एक विशेष अवधि के लिए काम करते हैं।

सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाले अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता संसद द्वारा तय की जाती है।

चार अन्य सदस्य

1. उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या एक योग्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है। 2. एक व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो।

- 3. एक व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो।
- 4. एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती है।यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, (CAG)
अनुच्छेद १४८ सीएजी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा
विभाग के प्रमुख के रूप में किसी भी राज्य स्तर पर
केंद्र में सार्वजनिक लेखा का संरक्षक होता है।

राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा 6 या 65

जीएसटी परिषद - केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री हैं।

इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहां केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

माल और सेवा कर परिषद का हर निर्णय एक सामूहिक बैठक में लिया जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत, अर्थात्, केंद्रीय सरकारी वोट का 1/3 राज्य सरकार वोट 2/3 rd होना आवश्यक है।

वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है।

कोई पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती और कोई मंत्री संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। है।

अनुच्छेद 149, सीएजी अधिनियम 1971 के तहत संसद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

CAG सभी फंड, केंद्र और राज्य का ऑडिट करता है।यह भारत की संचित निधि से संबंधित भारत की आकस्मिक निधि और भारत के लोक लेखा और राज्यों के लिए क्रमशःमंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों का निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।-यूपीएससी 2012

यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करता है। (अनुच्छेद 151) यह तीन रिपोर्टें की लेखा परीक्षा करता हैं - विनियोग खाता, वित्त खाता और सार्वजनिक उपक्रम खाता।।

अनुच्छेद २७७, सीएजी किसी भी कर की शुद्ध आय का पता लगाता है और प्रमाणित करता है।

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (भाग XVI)</u>

अनुच्छेद ३३८, (८९वां संशोधन) अधिनियम, २००३)

इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अवधि- 3 वर्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A के माध्यम से संविधान (89वां) संशोधन अधिनियम, 2003द्वारा इसकी स्थापना की गयी।

(NCST) की संरचना

आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल हैं।

(NCST) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का होता है। कार्य-योजना प्रक्रिया में जांच, निगरानी, पूछताछ, सलाह और भाग लेने के लिए।

यह अपनी रिपोर्ट वार्षिक रूप से राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है और यह उसी रूप में कार्य करता है।

भारतीय समाज की अनुसूचित जातियों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उधेश्य है। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उपाध्यक्ष के पास राज्य मंत्री का पद होता है और अन्य सदस्यों के पास भारत सरकार के सचिव का पद होता है।

(NCST) के कार्य

भारत का संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत 338A ने निम्नलिखित कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा गया है:

योजना प्रक्रिया में जांच, निगरानी, पूछताछ, सलाह और भाग लेने के लिए। यह अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है और यह वही कार्य करता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(NCBC)

102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को ART 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों सहित पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अवधि - 3 साल

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है।

इसके कार्य हैं-

योजना प्रक्रिया में जांच, निगरानी, पूछताछ, सलाह और भाग लेने के लिए। यह अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है और यह वहीं कार्य करता है।

भारत के अटॉर्नी जनरल (यूपीएससी 2013)

महान्यायवादी (AG),अनुच्छेद 76 के तहत देश में संघ के कार्यकारी और सर्वोच्च कानून अधिकारीहै।

AG को राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर योग्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता

भाषाई अल्पसंख्यको के लिए विशेष अधिकारी

सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत संविधान के भाग XVII में एक नया अनुच्छेद 350-बी डाला गया।

इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना है। यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे। वह उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करेगा जो राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन के समक्ष सभी रिपोर्ट रखनी चाहिए और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजना चाहिए।

संविधान योग्यता, कार्यकाल, निष्कासन को निर्दिष्ट नहीं करता है।

राज्य के लिए महाधिवक्ता (यूपीएससी 2009)

प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

इस महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना और

है।

कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जिन्हें समय-समय पर संदर्भित किया जाता है। अथवा

कार्यालय की अवधि: निश्चित नहीं

हटानाः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है (राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा संकता है)।

ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय में सभी मामलों में सरकार की ओर से पेश होने का अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार है।वोट के अधिकार के बिना संसद में बोलने का अधिकार भी AG को प्राप्त है।

अटॉर्नी जनरल सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया

राज्यपाल द्वारा उसे सौंपा गया है, और संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या उसके तहत दिए गए कार्यों का निर्वहन करने के

महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा ।

महाधिवक्ता राज्य विधानसभा में बोलने का अधिकार रखता है लेकिन वोट का अधिकार नहीं।

गैर संवैधानिक निकाय(NON-CONSTITUTION BODY)

नीति आयोग

जा सकता है।

अतिरिक्त संवैधानिक निकाय 1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार की प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित किया गया।

- यह सहकारी संघवाद को बढावा देता है।
- बॉटम ट्र अप (bottom to up approach) दृष्टिकोण

संरचना

अध्यक्ष - प्रधान मंत्री। प्रधान की अध्यक्षता में शासी परिषद।

इसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक शामिल होते हैं।

क्षेत्रीय परिषदें - इनका गठन उन विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है, जो प्रधान मंत्री की राय में एक क्षेत्र में एक से अधिक राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इन परिषदों का नेतृत्व प्रधान मंत्री या उनके द्वारा नामित

लोकपाल और लोकायुक्त

लोकपाल

2013 अधिनियम के तहत इसकी स्थापनाकी गई। लोकपाल - 1 अध्यक्ष और आठ से अधिक सदस्य नहीं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। अधिनियम में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों में से 50% से कम नहीं।

चयन प्रक्रिया- एक खोज समिति चयन प्रक्रिया को निर्धारित करेगी। उम्मीदवारों का एक पैनल, एक चयन समिति जिसमें (पीएम +लोकसभा अध्यक्ष + विपक्ष के नेता + सीजेआई + 1 न्यायविद) जो कि नामों की सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति इन्हें सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे।

वेतन और भत्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान। सेवा शर्तें: अन्य सदस्यों के लिए, वही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार-लोक सेवकों की एक

किया जा सकता है और इसमें मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट शामिल हो सकते हैं।

विस्तृत श्रृंखला के लिए, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसद, समृह ए. बी. सी और डी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के - विभिन्न नियम लागू हैं।

आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में निम्न शामिल हैं-

उपाध्यक्ष जो इसकी दैनिक गतिविधियों का प्रभारी होता है। उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है।

पर राज्य मंत्री का पद होता है।

दो अंशकालिक सदस्य जो प्रमुख विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों आदि से शिक्षाविद हैं। उन्हें बारी बारी से चक्र के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

कैबिनेट मंत्री, चार से अधिक नहीं हो सकते।, प्रधान मंत्री द्वारा पदेन सदस्यों के रूप में मंत्रियों। को नामित किए जाते हैं।

एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसके पास केंद्रीय रैंक के समान अधिकार है। भारत सरकार के सचिव की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और वे आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

नीति आयोग को चार मुख्य मदों में विभाजित किया जा सकता है:

- 1. डिजाइन नीति और कार्यक्रम ढांचा।
- 2. सहकारी संघवाद को बढावा देना।
- 3. समान प्रतिस्पर्धा और जांचपरख करना।
- 4. थिंक-टैंक, और नॉलेज एंड इनोवेशन हब।

अपवादित मामले- यदि प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित हैं, तो अधिनियम लोकपाल जांच की अनुमति नहीं देता है। प्रधान मंत्री के खिलाफ शिकायतों की चार पूर्णकालिक सदस्य जिनके पास केंद्रीय स्तर जांच तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूर्ण लोकपाल पीठ जांच शुरू करने पर विचार न करे और कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसे मंजूरी न दें ।

> लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के बाद, प्रारंभिक जांच (90 दिनों के भीतर पुरी करने के लिए) या किसी एजेंसी द्वारा जांच का आदेश दे सकता है।

> प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लोकपाल किसी भी एजेंसी या विभागीय कार्यवाही द्वारा जांच या संबंधित लोक सेवकों के खिलाफ किसी भी अन्य उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दे सकता है. या यह जांच को बंद करने का आदेश दे सकता है।

लोक सेवक लोकायुक्तों के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है

लोकायुक्त

वे केंद्रीय लोकपाल के राज्य समकक्ष हैं। प्रत्येक राज्य, राज्य के लिए लोकायुक्त के रूप में जाना जाने वाला एक निकाय स्थापित करेगा, यह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, तो संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए इस अधिनियम के लाग होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर शिकायतों के निपटान के लिए आयोग नियुक्त किया जाएगा।

अवधि- ५ वर्ष या ६५ वर्ष की आय तक दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं

लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें केवल परामर्श हैं जो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

यह एक वैधानिक निकाय है। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण के तहत की गई थी।

अधिनियम राज्यवमानवाधिकार आयोग की भी स्थापना

के लिए अनुशंसा प्रदान करता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग, (SHRC)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।

आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।

उन्हें राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है जिसमें शामिल हैं:

प्रधान मंत्री (प्रमुख) लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता केंद्रीय गृह मंत्री।

वे तीन साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद पर रहते हैं।

राष्ट्रपति उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में पद से हटा सकते हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग(CIC)

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है।

आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं।

नियुक्तिः राष्ट्रपति द्वारा

एक सिमिति की सिफारिश जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते है।

राज्य का राज्यपाल एक सिमित की सिफारिशों पर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है जिसमें शामिल हैं-

इसके प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और

विधानसभा में विपक्ष के नेता इत्यादि।

यदि राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद यदि कदाचार या अक्षमता के आरोप में दोषी पाया जाता है तो अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

राज्य सूचना आयुक्त(SIC)

यह नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत गठित एक स्वतंत्र, वैधानिक समिति है। इसका राज्य सरकार के निकायों, पीएसयू और अधिकारियों पर अधिकार क्षेत्र है।

संरचना :

मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त।

सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री,और उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और विधान सभा में विपक्ष के नेता की सिफारिश पर की जाती है।

आयोग की सदस्यता के लिए योग्यता- कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शासन, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मीडिया या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे सांसद/विधायक या किसी राजनीतिक दल से जुड़े, कोई व्यवसाय/पेशा या लाभ का पद धारण करने वाले नहीं होने चाहिए।

वे 65 या 5 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।

कार्यकाल: मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अविध के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

सीआईसी की शक्ति और कार्य यह आयोग का कर्तव्य है कि वहमामलों की जानकारी को प्राप्त करे और जांच करे। सूचना आयुक्त राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पात्र हैं, लेकिन सूचना आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल सहित अधिकतम 5 वर्षों के लिए पद पर रह सकते हैं।

दिवालियापन, अस्वस्थ दिमाग, शरीर या दिमाग की दुर्बलता के आधार पर राज्यपाल द्वारा निष्कासन किया जा सकता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना अनुरोध के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत।अथवा उचित आधार होने पर आयोग किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है। (स्व-प्रेरणा के आधार पर)

जांच करते समय आयोग के पास समन, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

राष्ट्रपति द्वारा दिवालियापन, विकृत दिमाग, शरीर या दिमाग की दुर्बलता, किसी अपराध के लिए कारावास की सजा, या वेतनभोगी रोजगार में लगे होने के आधार पर निष्कासन किया जा सकता है।

अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में उसे दोषी पाया जाता है तो उसे साबित कदाचार या अक्षमता के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में उसे दोषी पाया जाता है तो उसे साबित कदाचार या अक्षमता के लिए हटाया भी जा सकता है। वे राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI)

1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा स्थापित लेकिन यह वैधानिक निकाय नहीं हैं। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।

के संथानम समिति द्वारा की गई अनुसंशाएँ-

निदेशक की अध्यक्षता में सीबीआई और विशेष निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाए।जिसका कार्यकाल- सीवीसी अधिनियम 2003 द्वारा 2 वर्ष निर्धारित किया गया है।

यह कार्मिक विभाग, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन, लोक शिकायत, प्रधान मंत्री के तत्वावधान में कार्य करता है। कार्यालय (PMO)

इसकी भूमिका भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखना है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत काम करता है।

यह आर्थिक और राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की भी जांच करता है, यानी सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निर्यात और आयात नियंत्रण, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन। इस प्रकार के मामले सीबीआई द्वारा संबंधित विभाग के परामर्श से उठाए जाते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग(CVC)

1964 में कार्यकारी संकल्प द्वारा स्थापित लेकिन CVC अधिनियम 2003, पारित हुआ।जिसके तहत इसे वैधानिक दर्जा मिला। सन् 1962 में संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी।

भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

शीर्ष व्यवसाय संस्था जिसमें प्रमुख सतर्कता आयुक्त और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उनके हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। जिसमें पीएम, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं।

यूपीएससी के समान वेतन और भत्ता प्राप्त होता हैं।

सिद्ध, अक्षमता और दुर्व्यवहार के आधार पर जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

सीवीसी(CVC) को भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

निम्नलिखित संस्थान, निकाय या व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल,व्हिसल ब्लोअर इत्यादि। यदि सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय सीबीआई को इस तरह की जांच करने का आदेश देता है तो केंद्र सरकार इस पर सहमत हो जाती है कि यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों के मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकता है। यह कोई जांच एजेंसी नहीं है। सीवीसी या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से जांच करवाता है।

इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी(NDMA)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, एनडीएमए एसडीएमए,(SDMA) डीडीएमए(DDMA) की स्थापना की गई। एनडीएमए(NDMA) - पीएम पदेन अध्यक्ष, और 9 से अधिक सदस्य नहीं। जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता हैं। जबिक अन्य सदस्य (MOS) हैं।

गृह मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन और कार्यों के लिए शीर्ष निकाय। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और आपदा के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह उतरदायी है। एसडीएमए(SDMA) - आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत २००४में स्थापित। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष और 9 से अधिक सदस्य नहीं (राज्य कार्यकारी समिति के प्रमुख पदेन सदस्य हैं) राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण को अपने कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करने और कार्रवाई में समन्वय करने के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति भी बनाती है। राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार और राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सनिश्चित करना।

इसकी शक्तियां और कार्य राज्य स्तर पर (NEC) की लगभग प्रतिकृति समान हैं।

डीडीएमए(DDMA) - जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अध्यक्ष के रूप में। जिला परिषद के अध्यक्ष सह अध्यक्ष होते हैं।

7 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। (स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिला स्वायत्त परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य होता

राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA)

एन आईए अधिनियम 2008 द्वारा 2009 में स्थापित। यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है।

यह राज्यों की विशेष अनुमित के बिना केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यदि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है तो सरकार मामले की जांच एनआईए को सौंपेगी, बशर्ते कि मामला एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निहित अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो।

केंद्र सरकार भी जाँच कर सकती है।यह एनआईए को आदेश दें सकती है कि वह भारत में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करें। परमाणु ऊर्जा के तहत अपराध अधिनियम 1962, और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की जांच एनआईए द्वारा की जानी है। और उन पर मुकदमा चलाया जाना है। वर्तमान में एनआईए की विशेष इकाइयों के अलावा नौ अन्य शाखाएं हैं।

हालिया संशोधनः

एनआईए संशोधन विधेयक, 2019 जो 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करके संसद द्वारा पारित किया गया। एनआईए निम्नलिखित अतिरिक्त अपराधों की जांच भी करता है-

मानव तस्करी

जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध <u>निषिद्ध</u> हथियारों का निर्माण या बिक्री,

<u>साइबर-आतंक्वाद, और</u>

अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

विशेष एनआईए अदालतें:

एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एनआईए के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों की स्थापना की गई हैं। है।)

राज्य द्वारा अधिकतम 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं।

इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई भी प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है।

इनकी अध्यक्षता केंद्र सरकार की सिफारिश पर एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

डीडीएमए(DDMA) जिला योजना के रूप में कार्य करता है।यह आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और कार्यान्वयन का निकाय है।

यह संरचना के ऊपरी दो स्तरों के साथ समन्वय करेगा और स्थानीय स्तर पर रोकथाम, शमन और तैयारियों के कार्यान्वयन की योजना बनाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है, यदि यह किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में न्याय के हित में है।

एनआईए विशेष न्यायालयों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी अपराध के मुकदमे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सत्र न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है।

किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश की अपील, जो कि एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, तथ्यों और कानून दोनों पर उच्च न्यायालय में निहित है। यह राज्य सरकारों को भी अपने राज्यों में एक या अधिक ऐसे विशेष न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

विविध चुनाव:(MISLENIOUS ELECTION)

संविधान के **भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक** हमारे देश में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

- संविधान (अनुच्छेद 324) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति के कार्यालय और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और संचालन की शक्ति आयोग में निहित है। (यूपीएससी 2017)
- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के लिए केवल एक सामान्य मतदाता सूची होनी चाहिए।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए।
 इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष है, चुनाव में मतदान करने का हकदार है, बशर्ते वह संविधान के प्रावधानों या उपयुक्त विधायिका (संसद) या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य न हो।
- संसद निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सिहत संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है।
- अनुच्छेद 323B चुनाव विवादों के न्याय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए उपयुक्त विधायिका (संसद) या राज्य विधायिका को अधिकार देता है।
- 1998 के बाद से, आयोग ने बैलेट बॉक्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का तेजी से उपयोग किया है। 2003 में, सभी राज्य चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-(EVM) यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।जो पहले पारंपरिक मतदान प्रणाली में उपयोग किए जाते थे।
- राज्य विधानसभाओं के चुनाव उसी तरह से किए जाते हैं जैसे लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, और पहली पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था।

चुनावी कानून(ELECTION LAWS)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या निर्धारित करता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, सीटों को आवंटन करने के लिए अधिनियमित किया गया
 था।यह लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में सीटों की संख्याको भी निर्धारित करता है।
- इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को परामर्श के बाद पिरसीमन करने की शक्तियां प्रदान करने की भी मांग की।यह अधिनियम चुनाव आयोग के साथ, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं और विधान पिरषदों में सीटों को भरने के लिए भी प्रावधान करता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- इस अधिनियम में चुनावी मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है:1. संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता
- 2. आम चुनाव की अधिसूचना 3. चुनाव के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र 4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण 5. चुनाव का संचालन 6. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्री की मुफ्त आपूर्ति 7. चुनावों के संबंध में विवाद 8. भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध 9. सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में पूछताछ के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियां। 10. उपचुनाव और रिक्तियों को भरने की समय सीमा। 11. चुनाव से संबंधित विविध प्रावधान 12. दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर आदि शामिल हैं।

परिसीमन अधिनियम, 2002

- पिरसीमन अधिनियम, 2002, एक पिरसीमन आयोग की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें 2001 की जनगणना के आधार पर पिरसीमन करने के उद्देश्य से तािक निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में पूर्वोक्त विकृति को ठीक किया जा सके।
- परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

चुनावी सुधार(ELECTION REFORMS)

- 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु कम कर दी ।जिसमें लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के लिए 21 साल से 18 साल तक की आयु निर्धारित की गई।
- निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों के फोटोयुक्त पहचान पत्रों का प्रयोग सुनिश्चित किया गया
 है ।यह निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया को सरल, सुगम और तेज बनाता है। चुनाव में
 लिया गया फैसला चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के
 लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए 1993 में आयोग
 द्वारा यह शुरु किया गया।
- 1990 में, वीपी सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस पर एक सिमिति नियुक्त की।
 तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निम्न लिखित चुनाव सुधारो की अनुशंसा की गई-
 - 1. एक व्यक्ति जिसे निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है: 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम का अपमान।जिसमें 6 साल के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।
 - 2. मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अविध के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी दुकान, भोजन स्थल, होटल या किसी अन्य स्थान पर चाहे सार्वजनिक या निजी कोई भी शराब या अन्य नशीला पदार्थ बेचा या दिया या वितरित नहीं किया जाना चाहिए।
 - 3. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की वास्तविक मतदान से पहले मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि मृत उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित है, तो संबंधित पार्टी को सात दिनों के भीतर दूसरे उम्मीदवार को प्रस्तावित करने का विकल्प दिया जाएगा।
 - 4. संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में रिक्ति होने के छह महीने के भीतर उपचुनाव होने चाहिये।

नोटा(NOTA) का परिचय- इस विकल्प के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने मतपत्रों/ईवीएम में उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प का प्रावधान किया ताकि मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला कर सके।। अपने मत की गोपनीयता बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को वोट न देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में यह उम्मीदवारों को सक्षम बनाता हैं। उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान किए गए कुल वैध मतदाताओं की गणना के लिए नोटा विकल्प के खिलाफ मतदान किए गए मतदाताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नोटा विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की संख्या से अधिक होने पर भी, सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए।

वरीयता तालिका

- 1. अध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. प्रधान मंत्री
- 4. अपने-अपने राज्यों के राज्यों के राज्यपाल
- 5. पूर्व राष्ट्रपति
- 5ए. उप प्रधान मंत्री
- 6. भारत के मुख्य न्यायाधीश/ लोकसभा अध्यक्ष
- 7. संघ के कैबिनेट मंत्री

राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में उपाध्यक्ष, नीति आयोग पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता

- 7(ए.) भारत रत्न को धारण करने वाले महापुरुष
- 8. भारत में राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत
- 9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- 9ए. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक
- 10. उपसभापति, राज्य सभा के सदस्य, राज्यों के उपमुख्यमंत्री,लोक सभा उपाध्यक्ष ,नीति आयोग के सदस्य, संघ राज्य मंत्री (और कोई अन्य मंत्री)।
- 11. भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर इत्यादि।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां

मूल रूप से संविधान 395 अनुच्छेद 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। वर्तमान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। संख्या अभी भी वही है, लेकिन जैसे ही संविधान में संशोधन किया जाता है, नए लेख प्रत्यय ए, बी, सी आदि के साथ मूल लेखों के नीचे जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब शिक्षा के अधिकार को समायोजित करने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। तब एक नया अनुच्छेद 21 ए को अनुच्छेद 21 के तहत डाला गया था।

भारतीय संविधान के भागः

भाग	विषय	अनुच्छेद
भाग ।	संघ और उसके क्षेत्र	ART 1 से 4
भाग	नागरिकता	ART5 से 11
भाग III	मौलिक अधिकार	ART 12 से 35
भाग IV	निर्देशक सिद्धांत	ART 36 से 51
भाग IVA	मौलिक कर्तव्य	ART 51ए
भाग ∨	संघ सरकार अध्याय I- कार्यकारी (अनुच्छेद 52 से 78) अध्याय II-संसद (अनुच्छेद 79 से 122) अध्याय III- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (ART I 123) अध्याय IV - संघ न्यायपालिका (ART I 124 से 147) अध्याय V - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) से 151)	ART 52 से 151
भाग VI	अध्याय I, सामान्य (ART.152) अध्याय II - कार्यपालिका (ART.153 से 167) अध्याय III- राज्य विधानमंडल (ART.168) से 212 तक अध्याय IV- राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (ART 213) अध्याय 5- उच्च न्यायालय (ART 214) से 232 तक अध्याय VI- अधीनस्थ न्यायालय (Art.233) से 237 तक	ART152 से 237

भाग VII पहली अनुसूची के बी भाग क (7वां संशोधन अधिनियम, 1956 भाग VIII केंद्र शासित प्रदेश भाग IX पंचायतें भाग IXA नगर पालिकाओं	ने राज्यों द्वारा निरस्त किया गया।	ART 239 से 242
भाग IX पंचायतें		ART 230 से 242
		ART 237 XI 242
भाग १४४ - नगर गालिकाओं		ART 243 से 243O
मार्ग IAA रागर पालिफाजा		ART 243P से 243ZG
भाग IXB सहकारी समितियां		ART 243H से 243ZT
भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र		ART 1244 से 244ए
भाग XI अध्याय I संघ और राज्यों के संबंध (Art.245) से 255 तक अध्याय II - प्रशासनिक संबंध (,	ART 245 से 263
भाग XII अध्याय I वित्त, संपत्ति, अनुबंध उ (ART 264 से 291) अध्याय II उधार (ART 292 से अध्याय III संपत्ति, अनुबंध, अधि अध्याय IV संपत्ति का अधिका	293) कार, दायित्व, (Art.294 से 300)	ART 264 से 300A
भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापा	र, वाणिज्य	ART 301 से 307
भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेव	वाएं	ART 308 से 323
भाग XIVA न्यायाधिकरण		ART 323ए से323बी
भाग XV चुनाव		ART 324 से 329ए
भाग XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष	प्रावधान	ART 330 से 342
भाग XVII राजभाषा अध्याय I - संघ की भाषा (AR अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएँ (ART अध्याय IV- विशेष निर्देश (AR	.345 से 347)	ART 343 से 351
भाग XVIII आपातकालीन प्रावधान		ART 352 से 360
भाग XIX विविध		ART 361 से 367
भाग XX संविधान में संशोधन		ART 368
भाग XXI अस्थायी, संक्रमणकालीन और f	वेशेष प्रावधान	ART369 से 392
भाग XXII संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में	आधिकारिक पाठ	ART 393 से 395

भारतीय संविधान अनुसूचियां: भारतीय संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियां थीं। विभिन्न संशोधनों द्वारा चार और अनुसूचियां जोड़ी गईं, जो अब कुल बारह हो गई हैं। अनुसूचियां मूल रूप से सारणी होती हैं जिनमें अतिरिक्त विवरण होते हैं जिनका लेखों में उल्लेख नहीं किया जाता है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां (1 से 12)

- 1. पहली अनुसूची-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची
- 2. दूसरी अनुसूची राष्ट्रपित, राज्यों के राज्यपालों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापित के प्रावधान और किसी राज्य की विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
- 3. तीसरी अनुसूची -शपथ या प्रतिज्ञान के रूप।
- 4. चौथी अनुसूची-राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान।
- 5. पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के रूप में प्रावधान।
- 6. छठी अनुसूची -असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान।
- 7. सातवीं अनुसूची-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- आठवीं अनुसूची-मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
- 9. नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान।
- 10. दसवीं अनुसूची-दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
- 11. ग्यारहवीं अनुसूची- पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
- 12. बारहवीं अनुसूची-नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व।

© IAS NETWORK

DOWNLOAD ALL IAS NETWORK NOTES: <u>WWW.IAS.NETWORK</u>

TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/iasnetwork

IAS NETWORK

PRELIMS 2022 TEST SERIES

IAS.NETWORK **UPSC PRELIMS 2022 TEST SERIES**

30 TESTS | SECTIONAL(15) + FULL TESTS(15)



STUDENT SELF **ANALYSIS & RANKING**




ATTEMPT ONLINE VIA APPS + PDF

Ncerts, Newspapers, PIB, YOJANA, all standard books covered

DOWNLOAD APP, DIRECTLY ENROL IN THE APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=co. edvin.mxdbx



UNLIMITED EVALUATION

TOPPERS and INTERVIEWEES

www.ias.network | For any queries contact- 9779726117

Rs 5000 For GS & Essay Till Mains 2022 Rs 6000 For GS & Essay Till Mains 2023




UNLIMITED EVALUATION

TOPPERS and INTERVIEWEES

www.ias.network | For any queries contact- 9779726117

Rs 8,000 For GS + Essay + Optional Till Mains 2022

Rs 10,000 For GS + Essay + Optional Till Mains 2023



UNLIMITED EVALUATION

TOPPERS and INTERVIEWEES

www.ias.network | For any queries contact- 9779726117

Rs 5000 For No Limits Till Mains 2022

Rs 6000 For No Limits Till Mains 2023





असीमित मूल्यांकन —

टॉपर्स और साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मूल्यांकन

www.ias.network | For any queries contact- 9779726117

